[2020] 7 एस. सी. आर 1

भारत और ओआरएस का संघ।

वी.

एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन. आर.

(2009 की सिविल अपील सं. 3545)

अप्रैल 24,2020

[ए. एम. खानविलकर, हेमंत गुप्ता और

दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961: एस. 43 बी (एफ) (जैसा कि वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा जोड़ा गया है)-के तहत देयता

लीव एनकैशमेंट स्कीम-यू/एस के अपवाद के अधीन। 43 बी खंड (एफ) को एस में सम्मिलित करके। 43 बी-की संवैधानिक वैधता-आयोजितः s.43B लेखांकन की किसी विशेष विधि को अपनाने में निर्धारिती की स्वायत्तता पर कोई प्रतिबंध नहीं है, न ही निर्धारिती को किसी भी वैध कटौती से वंचित करता है-यह केवल एक नियम के रूप में कार्य करता है।

कटौती का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त शर्त

शीर्ष-खंड (च) को शामिल करने का एकमात्र प्रभाव यह है कि कथित कटौती को एक विशेष प्रावधान में डाल कर उसे विनियमित किया जाए-निर्धारिती ने न तो योग्यता के अस्तित्व के अभाव का मामला बनाया है और न ही खंड (च) में किसी भी संवैधानिक दुर्बलता का प्रदर्शन किया - s.43B (f) को संवैधानिक रूप से मान्य और सभी उद्देश्यों के लिए प्रभावी माना जाता है।

एस. 145 लेखांकन की विधि-एक विशेषाधिकार है जो इसमें आता है

निर्धारिती का क्षेत्र-हालांकि, लेखांकन की प्रणाली को अपनाने में निर्धारिती की स्वायत्तता केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विनियमन द्वारा नियंत्रित की जाती है।

न्यायिक समीक्षाः विधायी अधिनियम-संवैधानिकता-का निर्धारण

आयोजित किया गयाः न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में, न्यायालय एक बुनियादी के साथ शुरू होता है

संवैधानिकता के पक्ष में अनुमान-किसी प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करते समय, न्यायालय को अधिनियमित करने की शक्ति के अस्तित्व का निरीक्षण करना होता है, और एक बार ऐसी शक्ति मौजूद पाए जाने के बाद, अगली जांच यह पता लगाने के लिए होती है कि क्या अधिनियमित प्रावधान संविधान के भाग III में निहित किसी अधिकार को बाधित करता है। संविधान-एक विधिवत अधिनियमित प्रावधान की संवैधानिकता का निर्णय करते समय, न्यायालय काल्पनिक क्षेत्रों में नहीं जा सकता है।

-

[2020] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया में निराधार सीमा को नहीं पढ़ा जा सकता है-संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने की प्रक्रिया विवादित प्रावधान को लागू करने में विधायिका के विवेक या औचित्य में घुसपैठ करने के लिए नहीं है, न ही विधायिका पर एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में विधायिका के दोषपूर्ण आचरण की जांच करने के लिए है-न्यायालय की भूमिका प्रावधान में संवैधानिक दुर्बलता के निष्कर्ष तक सीमित है, जैसा कि न्यायालय के समक्ष रखा गया है। राजकोषीय क़ानून-न्यायिक समीक्षा-राजकोषीय क़ानूनों से निपटने के दौरान संवैधानिक न्यायालयों का दृष्टिकोण अलग होना चाहिए-बहिष्करण और समावेश के सामान्य सिद्धांत एक ही जोश के साथ कर लगाने वाले क़ानूनों पर तब तक लागू नहीं होते जब तक कि कानून

संवैधानिक दुर्बलता-अन्य क्षेत्रों की तुलना में कानूनों पर कर लगाने में विधायिका को अधिक विवेकाधिकार दिया जाता है।

कानूनः

एक कानून जब न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जाता है, तो विधायिका ऐसे कानून का निदान करने और उसके अमान्य तत्वों को बदलने के लिए स्वतंत्र होती है -

ऐसा करने में, विधायिका न्यायालय की राय को अमान्य घोषित नहीं कर रही है।

क़ानूनों की व्याख्याः

गैर-बाध्यकारी खंड-आयोजित की व्याख्याः एक गैर-बाध्यकारी खंड सामान्य अनुप्रयोग के किसी भी अन्य प्रावधान के खिलाफ एक अति-सवारी चरित्र मानता है।

कानून के उद्देश्य और कारण-कानून की प्रकृति की व्याख्या में सहायता के रूप में जब न्यायालय किसी कानून की वैधता की जांच करता है।

प्रावधान, इसकी प्राथमिक चिंता प्रावधान का शाब्दिक पाठ है-यह व्याख्या का पहला परीक्षण है-क़ानून की व्याख्या क़ानून की प्रकृति से असंबंधित नहीं हो सकती है-क़ानून के उद्देश्य और कारण व्याख्या के लिए बाहरी सहायक हैं और व्याख्या की प्रक्रिया में एक सीमित उद्देश्य के लिए देखा जा सकता है,

विशेष रूप से जब न्यायालय किसी अस्पष्ट प्रावधान की व्याख्या पर विचार कर रहा हो तो न्यायालय ऐसे बाहरी तत्वों से बाध्य नहीं है-इसलिए, उद्देश्यों और कारणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का किसी प्रावधान की संवैधानिक वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हैः

जब तक कि किसी प्रावधान की शाब्दिक विशेषताएँ न्यायालय को पर्याप्त स्पष्टता के साथ इसके वास्तविक अर्थ को समझने में सक्षम बनाती हैं।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एक्साइड उद्योग सीमित और

एएनआर।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 किसी प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करते समय, न्यायालय को अधिनियमित करने की शक्ति के अस्तित्व का निरीक्षण करना होता है और एक बार ऐसी शक्ति मौजूद पाए जाने के बाद, अगली जांच यह पता लगाने के लिए होती है कि क्या अधिनियमित प्रावधान किसी भी प्रावधान पर प्रभाव डालता है।

संविधान के भाग III में निहित अधिकार। मोटे तौर पर, संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत परिकल्पित एक विधिवत अधिनियमित प्रावधान की वैधता की जांच करने की प्रक्रिया इन दो चरणों पर आधारित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाग III के उल्लंघन का दूसरा परीक्षण एक गहरा परीक्षण है जो तय किए गए नियमों के आलोक में किया गया है।

संवैधानिक सिद्धांत। [पैरा 11] [20-एच; 21-ए-बी]

मध्य प्रदेश राज्य बनाम। राकेश कोहली और अन्र। (2012) 6 एससीसी 312: [2012] 6 एस. सी. आर. 661; भानुमती और अन्य। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (2010) 12 एससीसी 1: [2010] 7 एस. सी. आर. 585; आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। वी. मैकडोवेल एंड कंपनी एंड ओआरएस। (1996) 3 एससीसी 709: [1996] 3 एस. सी. आर. 721; कुलदिप नायर और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (2006) 7

एससीसी 1: [2006] 5 पूरक। एस. सी. आर. 1-निर्भर।

2. यह अब समग्रता नहीं है कि न्यायालय की परीक्षा संवैधानिकता के पक्ष में एक अनुमान के साथ शुरू होती है। यह अनुमान केवल न्यायिक अनुशासन से उत्पन्न नहीं होता है और

विवेकपूर्ण, लेकिन संविधान की मूल योजना से भी बाहर, जिसमें कानून बनाने की शक्ति विधानमंडल/संसद का अनन्य अधिकार क्षेत्र है। इस शक्ति के साथ यह तय करने की शक्ति है कि कब कानून बनाना है, क्या कानून बनाना है और कितना कानून बनाना है। इस प्रकार, विधान का समय, विषय-वस्तु और विस्तार तय करना मुख्य रूप से विधायिका को सौंपा गया कार्य है और न्यायिक समीक्षा के प्रयोग में, न्यायालय ऐसी शक्ति के उचित प्रयोग के पक्ष में एक बुनियादी धारणा के साथ शुरू करता है। [पैरा 13] [22-डी-ई]

2.1 आम तौर पर, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर योग्य होने वाली आय के शीर्षों की गणना इस प्रकार की जाती हैः

धारा 14 जो बचत खंड से शुरू होती है और स्पष्ट रूप से

यह भविष्यवाणी करता है कि व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ आयकर के लिए प्रभार्य होंगे। यह सामान्य घोषणा

प्रभारिता के बाद धारा 145 आती है, जो लेखांकन की विधि निर्धारित करती है। [पैरा 14] [22-एफ-जी] [2020] 7 एस. सी. आर.

2.2 धारा 145 की उप-धारा (1) स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि

लेखांकन की विधि निर्धारिती के अधिकार क्षेत्र में आने वाला एक विशेषाधिकार है और एक निर्धारिती लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली का पालन करने के अपने अधिकारों के भीतर है। लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली के अनुसार, आय का आकलन इन आधार पर किया जाता है - दायित्व का संचय और उसके बदले में वास्तविक व्यय के आधार पर नहीं। "या तो नकदी या लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली" अभिव्यक्ति इस लेखांकन प्रणाली की प्रकृति पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। उप-धारा (1) से बहने वाला अधिकार "के अधीन है

उप-धारा (2) के प्रावधान, जो स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को आय गणना निर्धारित करने का अधिकार देता है और

लेखांकन के लिए प्रकटीकरण मानक। सहमति से, उप-अनुभाग

(2) एक सक्षम प्रावधान है। यह दर्शाता है कि लेखांकन की प्रणाली को अपनाने में निर्धारिती की स्वायत्तता का सामान्य सिद्धांत, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विनियमन द्वारा नियंत्रित होता है और इसका पालन उसके तहत शासित निर्धारिती के वर्ग द्वारा किया जाना चाहिए। [पैरा 15] [23-सी-एफ]

2.3 . हालाँकि, धारा 43 बी को देनदारियों के बदले निर्धारिती द्वारा प्राप्त की जाने वाली कटौती का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

वास्तविक भुगतान किए बिना पिछले वर्ष में उपार्जित

उसी का निर्वहन करें। यह लेखांकन की किसी विशेष विधि को अपनाने में निर्धारिती की स्वायत्तता पर कोई प्रतिबंध लगाने का प्रावधान नहीं है, न ही निर्धारिती को किसी भी वैध कटौती से वंचित करता है। इसके बजाय, यह केवल एक अतिरिक्त शर्त के रूप में काम करता है

निर्दिष्ट शीर्ष पर कटौती का लाभ उठाना। [पैरा 16] [23-एफ-जी]

अनुज्ञेय कटौती, विधायिका समय-समय पर जानबूझकर कुछ कटौती निर्धारित करती है और उन्हें धारा 43 बी के दायरे में शामिल करती है ताकि ऐसी कटौती वास्तविक भुगतान की शर्त के अधीन हो सके। ऐसी शर्त हो सकती है भारत और ओ. आर. एस. के व्यापारिक संघ के विषय से अलग होने का अपरिहार्य प्रभाव।

वी. एक्साइड उद्योग सीमित और

एएनआर।

देयता के संचय के आधार पर लेखांकन की प्रणाली जिसमें कटौती का विशिष्ट शीर्ष शामिल है, न कि अन्य शीर्षों के लिए। लेकिन यह विधायिका और ऐसा करने में उसके विवेक का विषय है। [पैरा 17] [23-एच; 24-ए-सी]

2.5 प्रारंभ में, प्रावधान (ओं. 43 ख) में कटौती शामिल है

कर या शुल्क के रूप में निर्धारिती द्वारा देय राशि या किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि में योगदान के रूप में नियोक्ता द्वारा देय किसी राशि के संबंध में। विधायिका ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए वैधानिक देनदारियों और अन्य देनदारियों की चोरी की कुछ प्रथाओं का हवाला देते हुए इन कटौती को शामिल करने के बारे में बताया। समय बीतने के साथ, विधायिका ने धारा 43 बी में उपकर, बोनस या छूट सहित और अधिक कटौती शामिल की।

नियोक्ता द्वारा देय कमीशन, वित्तीय संस्थानों, अनुसूचित बैंकों आदि को देय ऋणों पर ब्याज, नियोक्ता द्वारा छुट्टी नकदीकरण के बदले में भुगतान और रेलवे को देय राशि का पुनर्भुगतान। इस प्रकार समझा जाए तो धारा 43 बी में शामिल कटौती की प्रकृति में कोई एकता या एकरूपता नहीं है। इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि यह धारा केवल वैधानिक देनदारियों से संबंधित कटौती का प्रावधान करती है। धारा 43 बी एक मिश्रित बैग है और विभिन्न वित्तीय परिदृश्यों को पूरा करने के लिए समय-समय पर इसमें नई और भिन्न प्रविष्टियां डाली गई हैं, जो सरकार द्वारा सबसे अच्छी तरह से निर्धारित की जाती हैं। विधायिका के लिए एक नया दायित्व बनाना, मौजूदा दायित्व को छूट देना, कटौती करना या मौजूदा दायित्व के अधीन होना असामान्य या असामान्य नहीं है।

विनियमों या शर्तों को ओवरराइड करने के लिए कटौती। [पैरा 18] [24-जी-एच; 25-ए]

2.6 . छुट्टी नकदीकरण योजना में भुगतान की परिकल्पना की गई है।

कर्मचारियों को एक वर्ष में उनकी अप्रयुक्त भुगतान छुट्टी के बदले में एक निश्चित राशि का भुगतान। इस भुगतान की प्रकृति लाभकारी और कर्मचारी समर्थक है। हालाँकि, यह इनाम के रूप में नहीं है और कर्मचारी की सेवा की शर्तों का एक हिस्सा है। एक नियोक्ता जो छुट्टी नकदीकरण के दायित्व के निर्वहन के नाम पर अग्रिम रूप से कर देयता से कटौती की मांग करता है, वास्तव में कर्मचारी को इस तरह के भुगतान को समय पर बढ़ाए बिना।

भुगतान उत्पन्न होने पर घृणित परिणाम हो सकते हैं। जब कर्मचारी की सेवानिवृत्ति (या अन्यथा) पर इस तरह के भुगतान का समय आता है, तो नियोक्ता भुगतान करने से इनकार कर सकता है।

नतीजतन, निर्दोष कर्मचारी [2020] 7 एस. सी. आर. में उलझ जाएगा।

बिना किसी गलती के कड़ी मेहनत से अर्जित अधिकार का दावा करने के लिए उसके जीवन की शाम को मुकदमा। साथ ही, इससे नियोक्ता को दोगुना लाभ होगा-वास्तविक भुगतान के किसी भी बोझ के बिना कर देयता से अग्रिम कटौती और अवसर आने पर भुगतान करने से इनकार। यह शरारत खंड (च) अधीन करने का प्रयास करता है। [पैरा 19] [25-बी-डी] 2.7 किसी क़ानून की व्याख्या क़ानून की प्रकृति से असंबंधित नहीं हो सकती है। धारा 43 ख के तहत अन्य खंडों के अनुरूप, खंड (च) को एक विशेष शरारत को दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया था और सार्वजनिक भलाई, कर्मचारियों के कल्याण और राजस्व पर धोखाधड़ी की रोकथाम की चिंताओं को उक्त खंड में लिखा गया है। इस तरह के कानूनों को उस शरारत के चश्मे से देखा जाना चाहिए जिसे वे दबाना चाहते हैं, यानी हेडन के मामले के सिद्धांत को। [पैरा 21] [25-एफ-जी]

तमिलनाडु राज्य बनाम। एमके कंदास्वामी (1975) 4 एससीसी

745 [1976] 1 एस. सी. आर. 38-निर्भर।

* हेडन का मामला (1584) 3 सह प्रतिनिधि 7-संदर्भित।

एक वैधानिक प्रावधान का अधिनियमन। यह सच है कि एक स्पष्ट उद्देश्य और कारण एक अधिनियमित प्रावधान के महत्व को समझने में उपयोगी होंगे जब भी न्यायालय को इसकी व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। जबकि, जब विधायी क्षमता और अधिनियम के महत्व के बारे में कोई अस्पष्टता नहीं है, तो इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए कोई नियम, प्राधिकरण या परंपरा नहीं है कि उद्देश्यों और कारणों का प्रकाशन एक विधिवत अधिनियमित प्रावधान के निर्वाह के लिए सार है

न्यायालय का नोटिस। वास्तव में, उद्देश्य और कारण व्याख्या के लिए बाहरी सहायकों की सूची में शामिल हैं और व्याख्या की प्रक्रिया में सीमित उद्देश्य के लिए देखा जा सकता है। अतः व्यक्त उद्देश्य और कारण, किसी प्रावधान की वैधता की जांच करने में न्यायालय की सहायता करने के एक सीमित उद्देश्य को पूरा करते हैं, विशेष रूप से जब न्यायालय एक अस्पष्ट प्रावधान की व्याख्या पर विचार कर रहा हो। [पारस 24 और 25] [26-जी; 27-ए; 28-बी-सी; 29-बी]

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। भारतीय संघ ए. आई. आर. 1963

एससी 1241 [1964] 1 एससीआर 371; संजीव कोक यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस।

वी. एक्साइड उद्योग सीमित और

एएनआर।

विनिर्माण कंपनी बनाम। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

तमिलनाडु राज्य और अन्य। वी. के. श्याम सुंदर और ओआरएस। (2011) 8 एससीसी 737: [2011] 11 एससीआर 1094-संदर्भित

को।

2.9 जब न्यायालय किसी प्रावधान की वैधता की जांच करता है,

इसकी प्राथमिक चिंता प्रावधान का शाब्दिक पाठ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायिका पाठ के माध्यम से बोलती है और जब तक वह अस्पष्ट तरीके से नहीं बोल रही है, तब तक न्यायालय के लिए पाठ से परे जाने के लिए सीमित स्थान है। यह व्याख्या का पहला परीक्षण है, जिसे अक्सर शाब्दिक व्याख्या कहा जाता है। यदि प्रावधान का पाठ असंदिग्ध है, तो विधायी आशय एकजुट हो जाता है और उसका प्रतीक बन जाता है। जब प्रावधान का पाठ्य तत्व अस्पष्टता का अनुभव करता है और कई अर्थों के लिए अतिसंवेदनशील होता है, तो न्यायालय प्रावधान के वास्तविक अर्थ का पता लगाने के लिए एक सक्रिय परीक्षा में प्रवेश करता है। न्यायालय द्वारा यह सक्रिय परीक्षा व्याख्या के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई रास्ते और तरीके प्रदान करती है। में परिवर्तित किया जा रहा है

व्यक्त उद्देश्य और कारण सीमित उद्देश्य के लिए उपयोगी हो सकते हैं ताकि उस समय आसपास की परिस्थितियों को समझा जा सके अधिनियमन। न्यायालय ऐसे बाहरी तत्वों से बाध्य नहीं है। इसलिए, उद्देश्यों और कारणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का किसी प्रावधान की संवैधानिक वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जब तक कि प्रावधान की शाब्दिक विशेषताएं न्यायालय को पर्याप्त स्पष्टता के साथ इसके सही अर्थ को समझने में सक्षम बनाती हैं।

[पारस 26 और 27] [29-सी-एफ] 2.10 . उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने, वर्तमान मामले में, स्पष्ट रूप से मौलिक धारणा पर प्रकाश डाला

खंड (च) के पक्ष में संवैधानिकता और इसकी वैधता के मूल पर प्रहार करने वाले उद्देश्यों और कारणों की अनुपस्थिति पर इसका निर्णय आधारित है। यह दृष्टिकोण कम से कम तीन कारणों से त्रुटिपूर्ण है। सबसे पहले, यह अधिनियमित प्रावधान में किसी भी संवैधानिक दुर्बलता की खोज करने के आवश्यक प्रयास से स्पष्ट होता है। दूसरा, यह

प्रावधान के पाठ को विच्छेदित करने का कोई प्रयास नहीं करता है ताकि पाठ से परे जाने की आवश्यकता प्रदर्शित हो। तीसरा, यह अधिनियम की पृष्ठभूमि में जाता है और एक ऐसे क्षेत्र में उद्यम करता है जो अदालत के लिए सीमा से बाहर है जब तक कि व्याख्या की आवश्यकता है।

किसी भी अस्पष्टता से उत्पन्न होता है। [पैरा 28] [29-जी-एच; 30-ए] [2020] 7 एस. सी. आर.

2.11 वैधता परीक्षण की प्रक्रिया को लागू करने में विधायिका के विवेक या औचित्य में घुसपैठ करना नहीं है विवादित प्रावधान। न ही, यह विधायिका पर एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में विधायिका के दोषपूर्ण आचरण की जांच करने के लिए है। न्यायालय की एकमात्र जांच प्रावधान में संवैधानिक दुर्बलता के निष्कर्ष तक ही सीमित है, जैसा कि न्यायालय के समक्ष रखा गया है। इस प्रकार, वस्तुओं और कारणों का खुलासा न करना

जब तक प्रावधान अस्पष्ट नहीं है और संभावित व्याख्या संविधान के भाग III का उल्लंघन नहीं करती है, तब तक किसी प्रावधान की संवैधानिकता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी निष्कर्ष के अभाव में

अधिनियमन के पीछे विधायिका। इस तरह की कार्रवाई अनुचित है। इस स्व-थोपे गए प्रतिबंध के पीछे मूल कारण यह है कि राज्य के विभिन्न अंग एक-दूसरे के विवेक की जांच नहीं करते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरे शब्दों में, नियंत्रण और संतुलन का समय-परीक्षित सिद्धांत न्यायालय को विधायिका के उद्देश्यों या विवेक पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं देता है, सिवाय उन परिस्थितियों के जब इसे अधिनियमित कानून से प्रदर्शित किया जाता है। [पैरा 30] [30-डी-ई]

के. सी. गजपति नारायण देव और अन्य। वी. राज्य की

उड़ीसा [1954] एस. सी. आर. 1-पर निर्भर था। संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। बटलर और अन्य 297 यू. एस. 1 (1936)-संदर्भित

2.13 न्यायिक समीक्षा की संवैधानिक शक्ति

प्रावधान की समीक्षा पर विचार करता है, जैसा कि यह है, न कि उन परिस्थितियों की समीक्षा जिसमें अधिनियम बनाया गया था। केवल किसी अधिनियमित प्रावधान को अनुचित ठहराना या मनमाना इसे असंवैधानिक ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक कि इस तरह की दुर्बलताओं को विवादित प्रावधान के रूप, सार या कार्यप्रणाली में पर्याप्त रूप से मौजूद नहीं दिखाया जाता है। विवादित निर्णय में ऐसी कोई दुर्बलता नहीं दिखाई गई है और न ही इसका संकेत दिया गया है।

[पैरा 30] [31-ई-एफ] भारत और ओआरएस का संघ।

वी. एक्साइड उद्योग सीमित और

एएनआर।

2.14 उच्च न्यायालय ने धारा 43 बी के पहले से मौजूद (अपरिवर्तित) खंडों की तुलना में दो टिप्पणियों को दर्ज करके अयोग्यता के अपने निष्कर्ष का समर्थन किया है-पहला, कि खंड (च) अन्य खंडों के साथ असंगत है और खंड (च) में लक्षित कटौती की प्रकृति अन्य कटौती से अलग है। दूसरा, उस खंड (च) का उद्देश्यों और कारणों के साथ कोई संबंध नहीं है।

मूल धारा 43 ख का अधिनियमन और इसलिए, धारा 43 ख के उद्देश्यों और कारणों का उपयोग धारा 43 ख का निष्कर्ष निकालने के लिए नहीं किया जा सकता है।

खंड (च) का उद्देश्य और उद्देश्य। दोनों मैदान आधारहीन हैं।

धारा 43 बी की मूल योजना में, धारा 43 बी के दायरे में केवल विशेष प्रकार की कटौती को शामिल करने की विधायिका की शक्ति पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सीमा नहीं है। विधायिका ने इसे कभी भी कटौती की एक विशेष श्रेणी तक सीमित नहीं रखा और उस इरादे को न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा में बैठे हुए मुख्य खंड में नहीं पढ़ा जा सकता है। सहमति से, यह उस पिछले वर्ष में निर्दिष्ट शीर्षों के संबंध में अधिनियम के तहत अन्यथा स्वीकार्य कटौती पर सशर्तता संलग्न करने का प्रावधान है, जिसमें -

लेखांकन की विधि की परवाह किए बिना वास्तव में राशि का भुगतान किया जाता है। [पैरा 31 और 32] [31-जी; 32-ए-डी] 2.15 इसके अलावा, इसमें निर्दिष्ट कटौती से संबंधित धारा 43 बी को लागू करने का व्यापक उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना था।

2.16 राजकोषीय कानूनों से निपटने के दौरान संवैधानिक न्यायालयों का दृष्टिकोण अलग होना चाहिए। यह सामान्य बात है कि विधायिका राजकोषीय क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं पर विचार करने और उन्हें संबोधित करने के लिए नीतियां बनाने के लिए सबसे अच्छा मंच है, जिसमें एक नया दायित्व बनाना, मौजूदा दायित्व से छूट देना, कटौती करना या नए नियामक उपायों के लिए मौजूदा कटौती करना शामिल है। कानूनों पर कर लगाने की प्रकृति में, विधायिका के पास विशिष्ट रिसाव को रोकने के लिए कानून बनाने की शक्ति है। इस तरह के कानून हमेशा सटीक प्रकृति के होते हैं और जमीनी स्तर पर कर चोरी और कर से बचने के अनुभवों के आधार पर केवल करयोग्यता के एक विशिष्ट मार्ग को लक्षित करने के लिए होते हैं। जनरल बहिष्करण और समावेशन के सिद्धांत एक ही जोश के साथ कर लगाने वाले कानूनों पर तब तक लागू नहीं होते हैं जब तक कि कानून संवैधानिक [2020] 7 एस. सी. आर.

दुर्बलताएँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजकोषीय कानूनों को अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हालांकि, एक बड़ा विवेक दिया जाता है

अन्य क्षेत्रों की तुलना में कानूनों पर कर लगाने में विधायिका। [पैरा 34] [32-एफ-एच; 33-ए]

अनंत मिल्स कं. लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य और अन्य। (1975) 2 एससीसी 175: [1975] 3 एस. सी. आर. 220-निर्भर।

3.1 इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधायिका इस न्यायालय के फैसले पर नहीं बैठ सकती है या इसे रद्द करने के लिए नहीं बोल सकती है। वहाँ नहीं हो सकता।

निर्णय के रूप में निर्णय के कानूनी आधार को बदले बिना न्यायालय के निर्णय को अमान्य करने की कोई घोषणा संबंधित समय पर लागू होने वाले अधिनियम को सख्ती से ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया। हालांकि, एक बार जब अधिनियम खुद खड़ा हो जाता है

इसके लिए एक कानून बनाता है। यह एक 'परीक्षण और त्रुटि' अभ्यास की प्रकृति में है और एक कानून बनाने वाला निकाय, विशेष रूप से वित्तीय प्रकृति के कानूनों में, इस तरह की कवायद करने के लिए विधिवत सशक्त है जब तक कि विधायी क्षमता की चिंता नहीं आती है। सन्देह हो रहा है। कानून के लागू होने पर, यह सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय हो जाता है और जब भी यह दुर्बलताओं से ग्रस्त पाया जाता है तो भाग III के तहत किसी भी समीक्षा के लिए खुद को खोल देता है। न्यायालय द्वारा अमान्य किए जाने पर, विधायिका ऐसे कानून का निदान करने और उसके अमान्य तत्वों को बदलने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा करने में, विधायिका न्यायालय की राय को अमान्य घोषित नहीं कर रही है। [पैरा 37] [34-बी-ई]

कल्याण संघ। ए. आर. पी. महाराष्ट्र और ए. एन. आर. वी. रंजीत पी. गोहिल और अन्य। (2003) 9 एससीसी 358: [2003] 2 एस. सी. आर. 139; भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी और अन्य। वी. केरल राज्य और अन्य। (1996) 7 एससीसी 637: [1996] 2 एससीआर 23; राज्य टी. एन. वी. अरूरन शुगर लिमिटेड (1997) 1 एस. सी. सी. 326

: [1996] 8 पूरक। एस. सी. आर. 193-पर निर्भर।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एक्साइड उद्योग सीमित और

एएनआर।

3.2 . भारत अर्थ मूवर्स मामले में फैसला स्वायत्तता के सामान्य वितरण के आलोक में दिया गया था

वितरण। इस तरह के किसी भी प्रावधान के अभाव में, 1961 के अधिनियम की धारा 145 (1) एकमात्र परिचालन प्रावधान था जो निर्धारिती को व्यापारिक प्रणाली का पालन करने के लिए पूर्ण स्वायत्तता की अनुमति देता था। अब धारा 43 बी में खंड (च) को शामिल करके एक सीमित परिवर्तन लाया गया है और इससे अधिक कुछ नहीं। यह संभावित रूप से लागू होता है। केवल इसलिए कि एक देयता को वर्तमान देयता माना गया है जो लागू होने वाले नियमों के संदर्भ में तत्काल कटौती के लिए योग्य है।

प्रासंगिक समय पर प्रावधान वास्तव में यह नहीं दर्शाते हैं कि इस तरह के दायित्व के खिलाफ कटौती को संसद द्वारा संभावित रूप से बनाए गए कानून द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है। वैधानिक कटौती के मामले में, विधायिका इसे संभावित रूप से वापस ले सकती है। [पैरा 39] [36-एफ-एच; 37-ए]

3.3 एक बार वित्त अधिनियम, 2001 को संसद द्वारा विधिवत पारित कर दिया गया था, जिसमें संभावित प्रावधानों के साथ धारा 43 बी में खंड (च) शामिल किया गया था।

प्रभाव से, छुट्टी नकदीकरण के दायित्व के विरुद्ध कटौती इस प्रकार निर्धारित तरीके से विनियमित थी। संशोधन दायित्व की प्रकृति को उलट नहीं देता है और न ही इसने कटौती को हटा दिया है। लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली के अनुसार छुट्टी नकदीकरण का दायित्व एक वर्तमान दायित्व बना हुआ है। इसके अलावा, खंड (च) को शामिल करने से निर्धारिती की व्यापारिक प्रणाली का पालन करने की स्वायत्तता समाप्त नहीं हुई है। यह केवल कटौती के लाभ को स्थगित करता है

निर्धारिती द्वारा अपनी कर योग्य आय की गणना करने के उद्देश्य से लाभ उठाया जाए और इसे संबंधित कर्मचारी को उसके वास्तविक भुगतान की तारीख से जोड़ा जाए। इस प्रकार, खंड (च) के सम्मिलन का एकमात्र प्रभाव यह है कि कथित कटौती को एक विशेष प्रावधान में डाल कर उसे विनियमित किया जाए। [पैरा 21] [37-बी-सी]

3.4 यह विनियामक उपाय धारा 43 बी में निर्दिष्ट अन्य कटौती के साथ समन्वयित है, जो भी मौजूद हैं और उपार्जित हैं।

देनदारियाँ। वाणिज्य (2020) 7 एस. सी. आर. के अनुसार कर, शुल्क, उपकर, बोनस, कमीशन आदि के बदले में देयता भी वर्तमान में उत्पन्न होती है।

प्रणाली, लेकिन निर्धारिती लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली की आड़ में कटौती का दावा करने के बावजूद इसके भुगतान को स्थगित कर देते थे। परिणामस्वरूप, देयता की श्रेणी के बावजूद, इस तरह की कटौती को राजकोषीय मामलों की विशिष्ट आवश्यकताओं और सार्वजनिक राजस्व की अंतर्निहित चिंताओं को ध्यान में रखते हुए धारा 43 बी के तत्वावधान में कानून द्वारा विनियमित किया गया था। एक प्राथमिकता, केवल इसलिए कि एक निश्चित दायित्व को उपहार घोषित किया गया है

प्रचलित अधिनियम के अनुसार न्यायालय द्वारा दायित्व, यह इस बात का पालन नहीं करता है कि विधायिका को संभावित प्रभाव के साथ शरारत को ठीक करने की अपनी शक्ति से वंचित किया जाता है, जिसमें एक नया दायित्व बनाना, मौजूदा दायित्व से छूट देना, कटौती करना या कटौती करना शामिल है। नए नियामक उपायों के लिए मौजूदा कटौती। कड़ाई से कहें तो न्यायालय काल्पनिक क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकता है, जबकि

विधिवत अधिनियमित प्रावधान और निराधार सीमाओं की संवैधानिकता का निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में नहीं पढ़ा जा सकता है। समीक्षा करें। एक प्राथमिकता, यह याचिका कि खंड (च) को इस न्यायालय के फैसले को विफल करने के एकमात्र उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है, गलत धारणा है।

[पैरा 40] [37-डी-जी]

4. उत्तरदाताओं ने न तो गैर का मामला बनाया है

क्षमता का अस्तित्व और न ही धाराओं के खंड (च) में किसी संवैधानिक दुर्बलता का प्रदर्शन। 43 बी. तदनुसार, उच्च न्यायालय की खंड पीठ के विवादित फैसले को उलट दिया जाता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 बी में खंड (एफ) को सभी उद्देश्यों के लिए संवैधानिक रूप से वैध और प्रभावी माना जाता है।

[पारस 41 और 42] [37-एच; 38-ए-बी]

भारत अर्थ मूवर्स बनाम। आयकर आयुक्त,

कर्नाटक (2000) 6 एससीसी 645: [2000] 2 पूरक। एससीआर

295 – पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

[2000] 2 पूरक। एससीआर 295

उस पर भरोसा करें

पैरा 4

[2012] 6 एससीआर 661

उस पर भरोसा करें

पैरा 11

[2010] 7 एससीआर 585

उस पर भरोसा करें

पैरा 11

[1996] 3 एससीआर 721

उस पर भरोसा करें

पैरा 11

[2006] 5 पूरक। एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 11

[1976] 1 एससीआर 38

उस पर भरोसा करें

पैरा 22 भारत और ओआरएस का संघ। वी. एक्साइड उद्योग सीमित और

एएनआर।

[2011] 11 एससीआर 1094

संदर्भित किया गया है

पैरा 24

[1964] 1 एससीआर 371

उस पर भरोसा करें

पैरा 25

[1983] 1 एससीआर 1000

उस पर भरोसा करें

पैरा 25

[1954] एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 30

[1975] 3 एससीआर 220

उस पर भरोसा करें

पैरा 34

[2003] 2 एससीआर 139

उस पर भरोसा करें

पैरा 38

[1996] 2 एससीआर 23

उस पर भरोसा करें

पैरा 38

[1996] 8 पूरक। एससीआर 193

उस पर भरोसा करें

पैरा 38

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3545

2009 से।

उच्च न्यायालय के 27.06.2007 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2005 के ए. पी. ओ. सं. 301 में कलकत्ता का।

के. के. वेणुगोपाल, एजी (एनपी), तुषार मेहता, एएसजी (एनपी),

सुश्री माधवी दीवान, ए. एस. जी., सुश्री चिन्मायी चंद्रा, सुश्री निधि खन्ना और श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

एम/एस के लिए डॉ. अमन हिंगोरानी, बसु, हिमांशु यादव। हिंगोरानी

& एसोसिएट्स, एड. उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. इस अपील में, धारा के खंड (च) की संवैधानिक वैधता

43 आयकर अधिनियम, 1961 का ख 1 कलकत्ता में उच्च न्यायालय के 2005 के ए. पी. ओ. सं. 301 में दिनांक 1 के आदेश के परिणामस्वरूप हमारे विचार के लिए उत्पन्न होता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उक्त खंड मनमाना है और विभिन्न मामलों पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जैसा कि इसके बाद चर्चा की गई है।

2. उल्लिखित खंड (च) को पहले से मौजूद धारा में डाला गया था। 43 बी वित्त अधिनियम, 2001 के माध्यम से 1.4.2002 से प्रभावी, ताकि

द्वारा दावा की गई कटौती के मामलों में कर हतोत्साहित करने का प्रावधान

के अधीन उपार्जित देयता के बदले में आय कर से निर्धारिती

छुट्टी नकदीकरण योजना लेकिन वास्तव में द्वारा जारी नहीं की गई

नियोक्ता। इस खंड ने दायित्व का वास्तविक भुगतान किया

संक्षेप में, "1961 का अधिनियम"

2 संक्षेप में, "उच्च न्यायालय" [2020] 7 एस. सी. आर.

1961 के अधिनियम के तहत कटौती का लाभ बढ़ाने के लिए एक शर्त के रूप में कर्मचारी। खंड (च) के अनुप्रयोग के साथ,

कटौती के लिए पात्रता पिछले वर्ष में उत्पन्न होती है जिसमें उपरोक्त भुगतान वास्तव में किया जाता है और उस संबंध में प्रावधान नहीं किया गया था, चाहे निर्धारिती द्वारा अनुसरण की जाने वाली लेखांकन प्रणाली कुछ भी हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें

जाँच करने पर, हम वर्तमान मामले में लागू 1961 के अधिनियम की संशोधित धारा 43 बी को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं।

जो इस प्रकार हैः

" 43 - बी. कुछ कटौती केवल वास्तविक भुगतान पर होगी। इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत अन्यथा स्वीकार्य कटौती - (क) निर्धारिती द्वारा कर, शुल्क, उपकर या शुल्क के रूप में देय कोई राशि, चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाए, उस समय लागू किसी कानून के तहत, या

(ख) नियोक्ता के रूप में निर्धारिती द्वारा किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि में योगदान के रूप में देय कोई राशि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए उपदान निधि या कोई अन्य निधि, या

(ग) धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (ii) में निर्दिष्ट कोई राशि, या

(घ) निर्धारिती द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या राज्य के वित्तीय संस्थान से किसी भी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में देय कोई राशि।

निगम या राज्य औद्योगिक निवेश निगम, समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार

(च) निर्धारिती द्वारा अपने कर्मचारी के खाते में किसी छुट्टी के बदले में एक नियोक्ता के रूप में देय कोई राशि, (उस पूर्ववर्ष की परवाह किए बिना जिसमें निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि का भुगतान करने का दायित्व उसके द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखांकन पद्धति के अनुसार किया गया था) केवल उस पूर्ववर्ष की धारा 28 में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में अनुमति दी जाएगी जिसमें ऐसी राशि वास्तव में उसके द्वारा भुगतान की जाती हैः

ऑन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। वी. एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

या धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उसके मामले में लागू नियत तारीख से पहले। उस पूर्ववर्ष का जिसमें ऐसी राशि का भुगतान करने का दायित्व उपरोक्त रूप में वहन किया गया था और ऐसे भुगतान का साक्ष्य निर्धारिती द्वारा ऐसी विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाता हैः

बशर्ते कि किसी भी राशि के संबंध में कोई कटौती नहीं की जाएगी

खंड (ख) में निर्दिष्ट राशि की अनुमति तब तक दी जाएगी जब तक कि ऐसी राशि का भुगतान वास्तव में नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य तरीके से नियत तारीख को या उससे पहले किया गया हो जैसा कि धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (वीए) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है और जहां ऐसा भुगतान नकद के अलावा अन्य तरीके से किया गया है, तो राशि नियत तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर प्राप्त कर ली गई है। स्पष्टीकरण 1. शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जहां इस धारा के खंड (ए) या खंड (बी) में निर्दिष्ट किसी राशि के संबंध में कटौती की अनुमति पिछले वर्ष की धारा 28 में निर्दिष्ट आय की गणना करने में दी गई है।

1 अप्रैल, 1983 को शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष) के लिए प्रासंगिक वर्ष जिसमें निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि का भुगतान करने का दायित्व वहन किया गया था, निर्धारिती उस पूर्ववर्ष की आय की गणना करने में ऐसी राशि के संबंध में इस धारा के तहत किसी भी कटौती का हकदार नहीं होगा जिसमें उसके द्वारा वास्तव में राशि का भुगतान किया जाता है।

स्पष्टीकरण 3. सन्देहों को दूर करने के लिए एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि जहां खंड में निर्दिष्ट किसी राशि के संबंध में कटौती की जाती है। (ग) या इस धारा के खंड (घ) की अनुमति पिछले वर्ष की धारा 28 में निर्दिष्ट आय की गणना करने में दी गई है।

पहले दिन से शुरू होने वाले मूल्यांकन वर्ष के लिए प्रासंगिक

अप्रैल, 1988 का वर्ष या कोई पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष) जिसमें ऐसी राशि का भुगतान करने का दायित्व निर्धारिती द्वारा वहन किया गया था, निर्धारिती [2020] 7 एस. सी. आर.

इस धारा के अधीन उस पूर्ववर्ष की आय की संगणना करने में ऐसी राशि के संबंध में किसी कटौती का हकदार नहीं होगा जिसमें उसके द्वारा वास्तव में राशि का भुगतान किया जाता है।

स्पष्टीकरण 3 ए। शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जहां इस धारा के खंड (ई) में निर्दिष्ट किसी राशि के संबंध में कटौती की अनुमति पिछले वर्ष की धारा 28 में निर्दिष्ट आय की गणना करने में दी गई है (जो पिछले वर्ष प्रासंगिक है)।

1 अप्रैल, 1996 को शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्व निर्धारण वर्ष) में जिसमें निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि का भुगतान करने का दायित्व वहन किया गया था, निर्धारिती इस धारा के तहत ऐसी राशि के संबंध में किसी भी कटौती का हकदार नहीं होगा।

पिछले वर्ष की आय की गणना जिसमें वास्तव में उसके द्वारा राशि का भुगतान किया जाता है।

स्पष्टीकरण 3 बी। संदेहों को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जहां इस धारा के खंड (च) में निर्दिष्ट किसी राशि के संबंध में कटौती की अनुमति पिछले वर्ष की धारा 28 में निर्दिष्ट आय की गणना करने में दी जाती है (जो 1 अप्रैल, 2001 को शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्व निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पूर्व वर्ष है) जिसमें निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि का भुगतान करने का दायित्व वहन किया गया था, तो निर्धारिती इस धारा के तहत ऐसी राशि के संबंध में किसी भी कटौती का हकदार नहीं होगा।

पिछले वर्ष की आय की गणना जिसमें वास्तव में उसके द्वारा राशि का भुगतान किया जाता है।

स्पष्टीकरण 4. इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

(क) "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 ए में दिया गया है।

((क) "अनुसूचित बैंक" का वही अर्थ होगा जो धारा 11 की उप-धारा (5) के खंड (iii) के स्पष्टीकरण में दिया गया है;

((ख) "राज्य वित्तीय निगम" से वित्तीय निगम अभिप्रेत है।

राज्य वित्तीय निगमों की धारा 46 के तहत अधिसूचित अधिनियम, 1951 (1951 का 63);

(ग) "राज्य औद्योगिक निवेश निगम" से अभिप्रेत है - कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के अर्थ के भीतर सरकारी कंपनी, जो औद्योगिक परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है और भारत और ओ. आर. एस. के योग्य संघ है।

वी. एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

धारा की उप-धारा (1) के खंड (viii) के तहत कटौती के लिए

36. "

3. उत्तरदाता, अपने व्यवसाय के लाभ और लाभ पर आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होने के कारण, खुद को समावेश से व्यथित पाया

धारा 43 ख में खंड (च) की धारा और तर्क दिया कि 1961 के अधिनियम की धारा 145 उन्हें लेखांकन के तरीके का विकल्प प्रदान करती है और तदनुसार, उन्होंने अपने लाभ और व्यवसाय के लाभ की गणना निम्नलिखित के अनुसार कीः

व्यापारिक प्रणाली। व्यापारिक प्रणाली के अनुसार, आय और व्यय का निर्धारण संचय या प्रावधान के आधार पर किया जाता है न कि वास्तविक प्राप्ति/भुगतान के आधार पर। उत्तरदाताओं ने आगे तर्क दिया कि धारा 43 बी को देयता के निर्धारण के लिए उपार्जित के पूर्व-वर्णित सामान्य नियम के अपवाद के रूप में बनाया गया है, क्योंकि यह वास्तविक भुगतान के लिए कुछ प्रकार की देनदारियों के बदले में कटौती का विषय है। के अनुसार

उत्तरदाताओं के लिए, धारा 43 बी के तहत अपवाद केवल वैधानिक देनदारियों जैसे कर, शुल्क, उपकर आदि और कर्मचारियों के कल्याण के लिए बनाई गई अन्य देनदारियों को शामिल करने वाले मामलों के एक सीमित समूह में लागू होता है और इसलिए, छुट्टी नकदीकरण योजना के तहत देयता एक व्यापारिक देयता होने के कारण धारा 43 बी के तहत अपवाद के अधीन नहीं हो सकती है।

1961 एक्ट करें।

4. यह प्रत्यर्थियों का मामला है कि भारत अर्थ मूवर्स बनाम आयकर आयुक्त मामले में इस न्यायालय का निर्णय,

जहाँ तक अवकाश भुनाने के दायित्व की प्रकृति का संबंध है, कर्नाटक 3 कानून का क्षेत्र रखता है। उक्त निर्णय, धारा 37 के तहत लेखांकन के सिद्धांतों पर विचार करते हुए, निर्णायक रूप से यह मानता है कि यदि कोई व्यावसायिक देयता निश्चित रूप से उत्पन्न हुई है, तो पिछले वर्ष में उसी के खिलाफ कटौती का दावा किया जा सकता है जिसमें ऐसी देयता अर्जित हुई है, भले ही उसे अंततः निर्वहन न किया गया हो। अदालत ने आगे कहा कि छुट्टी नकदीकरण योजना के बदले में देयता एक वर्तमान और निश्चित देयता है न कि एक आकस्मिक देयता। जहां तक छुट्टी भुनाने के दायित्व की प्रकृति का संबंध है, उत्तरदाताओं का आग्रह है कि यह दायित्व एक के रूप में उकेरा गया है

भुगतान करें। 3 (2000) 6 एससीसी 645 [2020] 7 एस. सी. आर.

5. यह कहने के बाद कि खंड (च) को छोड़कर, धारा 43 ख के तहत सभी खंड, वैधानिक प्रकृति की देनदारियों और उनके द्वारा संचालित देनदारियों को शामिल करते हैं।

कर्मचारियों के कल्याण की चिंताओं के लिए, उत्तरदाता आग्रह करेंगे कि खंड (च) द्वारा कवर किया गया दायित्व पूरी तरह से अलग प्रकृति का है और इसके तहत इस दायित्व को शामिल करने के लिए स्पष्ट उद्देश्यों और कारणों को निर्दिष्ट किए बिना

धारा 43 ख, इसे मुख्य खंड में नहीं डाला जा सकता है। इसके अलावा, इस दायित्व की प्रकृति न तो उद्देश्यों और कारणों के साथ समन्वयित है

मूल धारा और न ही विभिन्न निर्धारण वर्षों में समय-समय पर अधिनियमित अन्य खंडों के साथ।

6. प्रत्यर्थियों ने यह भी आग्रह किया कि खंड (च) का अधिनियमन कानूनी स्थिति को कम करने के एकमात्र विचार से प्रेरित था।

उसके आधार को हटाना। इस तरह का अधिनियम संविधान की योजना के खिलाफ होगा। यह आरक्षित क्षेत्र में एक प्रवेश मार्ग होगा। विशेष रूप से न्यायपालिका के लिए और इस तरह शक्तियों के पृथक्करण के आवश्यक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

7. खंड (च) की वैधता को पहले उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष न्यायिक जांच का सामना करना पड़ा। खंड ने संवैधानिक रूप से पारित किया

न्यायालय का सदस्य, जिसने इस प्रकार टिप्पणी की थीः

हालाँकि देयता उपार्जित थी। यदि नियोक्ता, अपनी मर्जी से, एक निधि रखता है, तो वह इसे अपनी सुविधा के लिए रखता है, न कि किसी कानूनी दायित्व के कारण। लेकिन लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली को देखते हुए उन्हें उपार्जित देयता दिखाने और कटौती का दावा करने में उचित माना गया। जब तक वह संबंधित कर्मचारी को छुट्टी का लाभ देने के लिए मजबूर नहीं हो जाता, तब तक उसे कटौती का लाभ लेने और साथ ही अपने लाभ के लिए राशि को नियंत्रित करने और उपयोग करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं था। यह स्पष्ट है कि यह खंड मौजूदा कानून के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने और सुरक्षा के लिए डाला गया था कर्मचारी के हित।

इस तर्क को संबोधित करते हुए कि उक्त खंड को सम्मिलित करने का उद्देश्य पूरी तरह से भारत अर्थ में इस न्यायालय के फैसले को विफल करना था

मूवर्स (ऊपर), विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस प्रकार कहाः

ऑन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। वी. एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" ..... यह सच है कि इस कार्रवाई ने भारत अर्थ मूवर्स मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के प्रभाव को बेअसर कर दिया, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह भारत की शक्तियों का अतिक्रमण है।

न्यायपालिका। एक बार जब मौजूदा कानूनी स्थिति को उनके प्रभुओं द्वारा समझाया गया, तो मुझे लगता है कि विधायिका के लिए स्थिति की जांच करना और आवश्यकता के अनुसार कानून बनाना काफी स्वाभाविक था। बंधन

उच्चतम न्यायालय के निर्णय को इस प्रक्रिया में रद्द नहीं किया गया था; केवल

कानून की स्थिति को संभावित रूप से बदल दिया गया था।

8. विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील की गई और

उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा उलट दिया जाना। खंड (च) को असंवैधानिक ठहराते हुए पीठ ने कहा कि

" ..... उप-धारा (च) डालने के दौरान कोई विशेष कारण नहीं थे

खुलासा किया। उनके अधिपति ने माना कि इस तरह का खुलासा अनिवार्य नहीं था। हमारे पास ऐसे मुद्दे पर असहमति का कोई कारण नहीं है बशर्ते कि विषय संशोधन को मूल प्रावधान को लागू करने के समय प्रकट किए गए समान उद्देश्यों और कारणों पर मूल धारा के दायरे को व्यापक बनाने के लिए आगे बढ़ाया जा सके। जैसा कि हम पाते हैं, मूल धारा को वैधानिक देनदारियों का निर्वहन नहीं करके दावा की गई कटौती को पूरा करने के लिए शामिल किया गया था। हम यह भी पाते हैं कि बाद में प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया था

किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अर्जित कर्मचारी। एक कर्मचारी छुट्टी न लेकर एक निश्चित राशि अर्जित करता है जिसका वह उस विशेष वर्ष में अन्यथा हकदार है। अतः नियोक्ता उक्त राशि के लिए उचित प्रावधान करने के लिए बाध्य है। एक बार कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है और उसे इस राशि का भुगतान करना होता है।

संचयी आधार जो कर्मचारी अपने पूरे सेवा जीवन में कमाता है जब तक कि वह उसके द्वारा अर्जित छुट्टी का लाभ नहीं उठाता है। हमारे विचार में, इसका मूल अधिनियम के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता है। एक नियोक्ता अपने व्यवसाय को चलाने के लिए होने वाले खर्च के लिए कटौती का हकदार है जिसमें शामिल हैं -

अपने कर्मचारियों को वेतन और अन्य अनुलाभों का भुगतान। अतः यह एक व्यापारिक दायित्व है। इस प्रकार वह अन्यथा अपने खातों में अस्थायी व्यय के रूप में ऐसी राशि की कटौती करने का हकदार है। विधानमंडल ने संशोधन के माध्यम से [2020] 7 एस. सी. आर.

वे इसके कारणों का खुलासा करने के बाद ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं कारण मुख्य उद्देश्य के साथ असंगत नहीं हैं

अधिनियमन। हम अपने अवलोकन के लिए ऐसे कारणों से वंचित हैं।

(जोर दिया गया)

इसने यह भी अभिनिर्धारित किया कि खंड (च) की विषय वस्तु असंगत थी

मूल धारा 43 ख और निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित की गईः

प्रावधान धारा 43 बी है जिसे मूल रूप से प्लग में डाला गया था वैधानिक दायित्व की चोरी में। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि

धारा (च) वहाँ नहीं थी। सभी पहलुओं पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय जैसा कि हमारे द्वारा यहाँ पहले खुलासा किया गया है, के तर्क को खारिज कर दिया

राजस्व और संबंधित को उचित कटौती प्रदान की गई मूल्यांकनकर्ता। शीर्ष के फैसले से छुटकारा पाने के लिए विधायिका

न्यायालय ने संशोधन लाया जो अन्यथा रद्द कर देगा।

न्यायाधीश ने कानून बनाया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय न्यायाधीश द्वारा लिए जाते हैं।

कानून और संविधान के तहत सभी पर लागू होते हैं।

यह उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाया

विधायिका के विषय खंड को अधिनियमित करने के लिए, जैसा कि देखा जा सकता है

निम्नलिखित टिप्पणियाँः

हम, एक पल के लिए भी, यह नहीं देखते हैं कि विधायिका नहीं थी

इस तरह का संशोधन लाने का अधिकार। वे अपनी शक्ति के भीतर थे

जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होगा और देश के कानून और रद्द करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए नहीं

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय "।

9. अब हम इस पर खंड (च) की जांच करेंगे

शीर्षक, जिसके बाद विवादित निर्णय का विश्लेषण किया जाएगा।

10. हमने सुश्री चिन्मायी चंद्र को सुना है, जिनके लिए विद्वान वकील हैं

पेपेलेंट्स और डॉ. अमन हिंगोरानी, विद्वान सलाहकारबच्चे।

खंड (च) की संवैधानिक वैधता

11. संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने में न्यायालय का दृष्टिकोण

आर. ओ. वी. एन. अच्छी तरह से तय है और न्यायालय की मूल चिंता भारत और ओ. आर. एस. का संघ है।

वी. एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अधिनियमित करने की शक्ति के अस्तित्व का निरीक्षण करने के लिए और एक बार ऐसी शक्ति मौजूद पाए जाने के बाद, अगली जांच यह पता लगाने के लिए है कि क्या अधिनियमित प्रावधान संविधान के भाग III में निहित किसी अधिकार को बाधित करता है।

मोटे तौर पर, संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत परिकल्पित एक विधिवत अधिनियमित प्रावधान की वैधता की जांच करने की प्रक्रिया इन दो चरणों पर आधारित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाग III के उल्लंघन का दूसरा परीक्षण स्थापित संवैधानिक सिद्धांतों के आलोक में किया गया एक गहरा परीक्षण है। मध्य प्रदेश राज्य बनाम राकेश कोहली और Anr.4 के मामले में, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

न्यायालय द्वारा केवल दो आधारों पर निरस्त किया जा सकता है, अर्थात् (i) कि उपयुक्त विधायिका के पास क्षमता नहीं है

कानून बनाने के लिए, और (ii) कि यह छीन या कम नहीं करता है

भाग III में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कोई भी

संविधान या कोई अन्य संवैधानिक प्रावधान।

(जोर दिया गया)

उपरोक्त व्याख्या इस न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत की गई है।

भानुमती और अन्य सहित अन्य मामलों के एक कैटेना में। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और Ors.5, आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। बनाम।

मैकडोवेल एंड कंपनी एंड ओआरएस। ' और प्रदीप नायर और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य। ' , कुछ बताएँ।

12. ऊपर बताए गए दो-गुना दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए,

न्यायालय ने राकेश कोहली (उपरोक्त) मामले में करयोग्यता पर कानूनों की वैधता की जांच करते हुए निम्नलिखित सिद्धांतों के लिए एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण का भी आह्वान कियाः

" 32. एक कराधान कानून की संवैधानिक वैधता से निपटने के दौरान

संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित, न्यायालय को होना चाहिए

निम्नलिखित सिद्धांतों का ध्यान रखेंः

((i) संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा धारणा होती है -

संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि, ((ii) किसी भी अधिनियम को केवल यह कहकर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि

मनमाना या अनुचित या तर्कहीन लेकिन कुछ संवैधानिक

दुर्बलता ढूँढनी होगी,

4 (2012) 6 एस. सी. सी. 312 5 (2010) 12 एससीसी 1

6 (1996) 3 एस. सी. सी. 709 7 (2006) 7 एससीसी 1 [2020] 7 एस. सी. आर.

((ग) न्यायालय का ज्ञान या अज्ञान से कोई संबंध नहीं है।

संसद और राज्य के रूप में कानून का न्याय या अन्याय

विधायिकाओं को लोगों की जरूरतों के प्रति जागरूक होना चाहिए

जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं और वे सबसे अच्छे न्यायाधीश हैं जिस समुदाय के मताधिकार से वे अस्तित्व में आते हैं,

(v) कराधान के क्षेत्र में, विधायिका को अधिक अक्षांश प्राप्त होता है। वर्गीकरण के लिए "।

(जोर दिया गया)

13. वर्तमान मामले में, संसद की विधायी शक्ति

इसका रूप, पदार्थ या प्रभाव। यह अब समग्रता नहीं है कि न्यायालय की परीक्षा संवैधानिकता के पक्ष में एक अनुमान के साथ शुरू होती है। यह धारणा न केवल न्यायिक अनुशासन और विवेक से उत्पन्न होती है, बल्कि संविधान की मूल योजना से भी उत्पन्न होती है जिसमें

विधान बनाना विधानमंडल/संसद का अनन्य अधिकार क्षेत्र है। इस शक्ति के साथ यह तय करने की शक्ति है कि कब कानून बनाना है, क्या कानून बनाना है और कितना कानून बनाना है। इस प्रकार, विधान का समय, विषय-वस्तु और विस्तार तय करना एक ऐसा कार्य है जो मुख्य रूप से विधायिका को सौंपा गया है और न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करते हुए, न्यायालय ऐसी शक्ति के उचित प्रयोग के पक्ष में एक बुनियादी धारणा के साथ शुरुआत करता है।

14. आम तौर पर, आय के प्रमुख कर योग्य होते हैं।

1961 के अधिनियम के तहत धारा 14 में गणना की गई है जो एक बचत खंड के साथ शुरू होती है और स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी करती है कि व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ आयकर के लिए प्रभार्य होंगे। प्रभारिता की इस सामान्य घोषणा के बाद धारा 145 आती है, जो लेखांकन की विधि निर्धारित करती है और इस प्रकार पढ़ती हैः

" लेखांकन की विधि

145. (1) "लाभ और लाभ" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय

व्यवसाय या पेशा "या" अन्य स्रोतों से आय "-

उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, लेखांकन की नकद या व्यापारिक प्रणाली के अनुसार

निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

(2) केंद्र सरकार आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर सकती है

राजपत्र समय-समय पर लेखांकन मानकों का होना

निर्धारिती के किसी भी वर्ग या किसी भी वर्ग के संबंध में

निर्धारिती, निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से पालन किया जाता है धारा 144 में दिए गए तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं।

(जोर दिया गया)

15. धारा 145 की उप-धारा (1) स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि -

लेखांकन की विधि निर्धारिती के अधिकार क्षेत्र में आने वाला एक विशेषाधिकार है और एक निर्धारिती व्यापारिक प्रणाली का पालन करने के अपने अधिकारों के भीतर है।

लेखांकन। यह ध्यान दिया जाए कि लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली के अनुसार, आय का आकलन देयता के संचय के आधार पर किया जाता है न कि उसके बदले वास्तविक व्यय के आधार पर। "या तो नकदी या लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली" अभिव्यक्ति इस लेखांकन प्रणाली की प्रकृति पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। चाहे जो भी हो, यह उल्लेखनीय है कि उप-धारा (1) से आने वाला अधिकार "उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन है", जो केंद्र सरकार को लेखांकन के लिए आय गणना और प्रकटीकरण मानक निर्धारित करने के लिए स्पष्ट रूप से सशक्त करता है। मान लीजिए, उप-धारा (2) एक सक्षम करने वाला प्रावधान है। यह दर्शाता है कि लेखांकन की प्रणाली को अपनाने में निर्धारिती की स्वायत्तता का सामान्य सिद्धांत, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विनियमन द्वारा नियंत्रित होता है और इसका पालन उसके तहत शासित निर्धारिती के वर्ग द्वारा किया जाना चाहिए।

16. हालाँकि, धारा 43 बी को कटौती का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है -

निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में उपार्जित देनदारियों के बदले में उसका भुगतान करने के लिए वास्तविक भुगतान किए बिना लाभ उठाया जाए। यह लेखांकन की किसी विशेष विधि को अपनाने में निर्धारिती की स्वायत्तता पर कोई प्रतिबंध लगाने का प्रावधान नहीं है, न ही निर्धारिती को किसी भी वैध कटौती से वंचित करता है। इसके बजाय, यह केवल निर्दिष्ट शीर्ष के तहत कटौती का लाभ उठाने के लिए एक अतिरिक्त शर्त के रूप में काम करता है।

17. धारा 43 बी का शीर्षक है "कुछ कटौती केवल

वास्तविक भुगतान पर "। यह एक गैर-अवरोधक खंड के साथ खुलता है। व्याख्या के तय किए गए सिद्धांतों के अनुसार, एक गैर-बाध्यकारी खंड एक ओवरराइडिंग [2020] 7 एस. सी. आर. मानता है।

सामान्य अनुप्रयोग के किसी अन्य प्रावधान के विरुद्ध चरित्र। यह घोषणा करता है कि संसद द्वारा उसे आवंटित क्षेत्र के भीतर, इसे किसी अन्य प्रावधान द्वारा नियंत्रित या ओवरराइड नहीं किया जाएगा जब तक कि विशेष रूप से प्रावधान न किया गया हो। अनुमेय कटौती में से, विधायिका ने समय-समय पर कुछ कटौती को जानबूझकर निर्धारित किया और उन्हें इसमें शामिल किया। धारा 43 ख की परिधि ताकि ऐसी कटौती वास्तविक भुगतान की शर्त के अधीन हो। इस तरह की सशर्तता का अनिवार्य प्रभाव हो सकता है कि यह कटौती के विशिष्ट शीर्ष के अंतर्गत आने वाले दायित्व के आधार पर लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली के विषय से अलग हो।

उसमें और अन्य प्रमुखों के लिए नहीं। लेकिन यह विधायिका और ऐसा करने में उसके विवेक का विषय है।

18. धारा 43 बी का अस्तित्व 1983 से शुरू होता है जब विधायिका ने 1961 के अधिनियम में इस तरह के प्रावधान के विचार की अवधारणा की थी। प्रारंभ में, इस प्रावधान में कर या शुल्क के रूप में निर्धारिती द्वारा देय राशि या किसी भी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि में योगदान के रूप में नियोक्ता द्वारा देय किसी भी राशि के संबंध में कटौती शामिल थी। यह उल्लेखनीय है कि विधायिका ने इन कटौती को शामिल करने के बारे में बताया कर्मचारियों के कल्याण के लिए वैधानिक देनदारियों और अन्य देनदारियों की चोरी की कुछ प्रथाओं का हवाला देते हुए। वित्त विधेयक, 1983 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए ज्ञापन के पैराग्राफ 60 में नए जोड़े गए प्रावधान के दायरे और प्रभाव की व्याख्या की गई थी:

" 60 ..... इस प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए, यह प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है कि निर्धारिती द्वारा किसी भी समय लागू किसी कानून के तहत कर या शुल्क के रूप में देय किसी भी राशि के लिए कटौती (चाहे वह कर या शुल्क विवादित हो या नहीं) या किसी भी भविष्य निधि, या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में योगदान के रूप में नियोक्ता के रूप में निर्धारिती द्वारा देय कोई भी राशि। कर्मचारियों के कल्याण की अनुमति केवल उस पिछले वर्ष की आय की गणना करने में दी जाएगी जिसमें ऐसी राशि का वास्तव में भुगतान किया जाता है।

उसके द्वारा "।

समय बीतने के साथ, विधायिका ने और अधिक कटौती की

धारा 43 ख, जिसमें नियोक्ता द्वारा देय उपकर, बोनस या कमीशन, वित्तीय संस्थानों, अनुसूचित बैंकों आदि को देय ऋणों पर ब्याज, नियोक्ता द्वारा छुट्टी नकदीकरण के बदले में भुगतान और रेलवे को देय राशि का पुनर्भुगतान शामिल है। इस प्रकार समझा जाए तो धारा 43 बी में शामिल कटौती की प्रकृति में कोई एकता या एकरूपता नहीं है। यह आग्रह करने का कोई औचित्य नहीं है कि यह धारा केवल वैधानिक देनदारियों से संबंधित कटौती का प्रावधान करती है। धारा 43 बी एक मिश्रित थैला है और नई और भिन्न प्रविष्टियों में भारत और ओआरएस का संघ है।

वी. एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

विभिन्न वित्तीय परिदृश्यों को पूरा करने के लिए समय-समय पर इसमें जोड़ा जाता है, जो उस समय की सरकार द्वारा सबसे अच्छी तरह से निर्धारित किए जाते हैं। विधायिका के लिए एक नया दायित्व बनाना असामान्य या असामान्य नहीं है, छूट दी गई है।

एक मौजूदा देयता, एक कटौती बनाएँ या नियमों या शर्तों को ओवरराइड करने के लिए एक मौजूदा कटौती के अधीन।

19. छुट्टी नकदीकरण योजना में एक के भुगतान की परिकल्पना की गई है

कर्मचारियों को एक वर्ष में उनकी अप्रयुक्त भुगतान छुट्टी के बदले में एक निश्चित राशि। इस भुगतान की प्रकृति लाभकारी और कर्मचारी समर्थक है। हालाँकि, यह इनाम के रूप में नहीं है और कर्मचारी की सेवा की शर्तों का एक हिस्सा है। कर से कटौती की मांग करने वाला नियोक्ता

छुट्टी भुनाने के दायित्व के निर्वहन के नाम पर अग्रिम देयता, वास्तव में कर्मचारी को इस तरह के भुगतान का विस्तार किए बिना और जब भुगतान का समय आता है तो घृणित हो सकता है।

परिणाम। जब सेवानिवृत्ति पर इस तरह के भुगतान का समय आता है (या

भुगतान और अवसर आने पर भुगतान करने से इनकार करना। यह शरारत खंड (च) अधीन करने का प्रयास करता है। 20. उत्तरदाताओं द्वारा दिया गया तर्क कि छुट्टी नकदीकरण देयता की प्रकृति ऐसी है कि वास्तविक बनाना असंभव है

उसी वर्ष भुगतान, खंड की अयोग्यता के दावे में कोई वजन नहीं जोड़ता है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रावधान का जोर भुगतान के समय को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि इस तरह के दायित्व के नाम पर कटौती का दावा करने के समय को नियंत्रित करना सख्ती से लक्षित है। इस खंड द्वारा दूर की जाने वाली शरारत, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, स्थिति को स्पष्ट करती है।

21. यह ध्यान दिया जाए कि किसी क़ानून की व्याख्या क़ानून की प्रकृति से असंबंधित नहीं हो सकती है। धारा 43 बी के तहत अन्य खंडों के अनुरूप, खंड (च) को एक विशेष शरारत को दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया था और सार्वजनिक भलाई, कर्मचारियों के कल्याण और राजस्व पर धोखाधड़ी की रोकथाम की चिंताओं को उक्त खंड में लिखा गया है। हमारे विचार में, इस तरह के कानूनों को उस शरारत के चश्मे के माध्यम से देखा जाना चाहिए जिसे वे दबाना चाहते हैं, यानी हेडन के मामलों के सिद्धांत। क्रावफोर्ड में, सांविधिक

निर्माण ', यह लाभप्रद रूप से चित्रित किया गया है कि' एक अधिनियम '

8 3 (1584) 3 सह प्रतिनिधि 7

क्राफोर्ड, सांविधिक निर्माण पी।

राजस्व पर धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया एक कर कानून के बजाय धोखाधड़ी के खिलाफ एक क़ानून अधिक उचित रूप से है, और इसलिए सरकार के पक्ष में एक उदार निर्माण प्राप्त करना चाहिए।

22. तमिलनाडु राज्य बनाम एम. के. कंदास्वामी में, यह न्यायालय

उपचारात्मक कानूनों की व्याख्या इस प्रकार की गई है:

" 26. यह याद रखा जा सकता है कि धारा 7-ए तुरंत एक शुल्क है। साथ ही एक उपचारात्मक प्रावधान। इसका मुख्य उद्देश्य रिसाव को रोकना है।

और कर चोरी को रोकें। इस तरह के प्रावधान की व्याख्या करते हुए, ए

निर्माण जो अपने उद्देश्य को विफल कर देगा और, वास्तव में, इसे कानून की पुस्तक से मिटा दें, इसे छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर

एक से अधिक निर्माण संभव है, जो इसे संरक्षित करता है।

व्यवहार्यता, और प्रभावकारिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो इसे ऑटियोज या स्टेराइल बना दें। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण है -

व्याख्या के इस मुख्य सिद्धांत के प्रतिकूल "।

(जोर दिया गया)

23. खंड (च) की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने के बाद, हम

अब वे उन आधारों की जांच करेंगे जिन पर उच्च न्यायालय ने अपनी वैधता के खिलाफ फैसला सुनाया था। हम ध्यान दे सकते हैं कि उक्त खंड की संवैधानिक वैधता के लिए उत्तरदाताओं की चुनौती को मुख्य रूप से तीन आधारों पर स्वीकार किया गया है:

((i) इसके अधिनियमन के उद्देश्यों और कारणों का खुलासा न करना।

और धारा 43 ख में सम्मिलन;

((ii) धारा 43 ख के अन्य खंडों के साथ खंड (च) की असंगतता।

और मूल के साथ खंड के संबंध की अनुपस्थिति

अधिनियमन;

((iii) अधिनियम को केवल इस आदेश को रद्द करने के लिए लागू किया गया है -

भारत अर्थ मूवर्स (ऊपर) में यह न्यायालय।

उद्देश्यों और कारणों का खुलासा न करना

24. एक क़ानून के अधिनियमन के पीछे के उद्देश्य और कारण

एक वैधानिक प्रावधान के अधिनियमन के पीछे विधायिका के इरादे को दर्शाता है। निर्विवाद रूप से, किसी कानून के उद्देश्य या अंतर्निहित उद्देश्य को तब समझा जा सकता है जब उल्लिखित उद्देश्यों और कारणों के प्रकाश में व्याख्या की जाए। जहाँ तक व्याख्या का तय सिद्धांत विधायिका के सच्चे इरादे का पता लगाना है, क्योंकि लोगों की इच्छा संवैधानिक रूप से विधायिका में दी गई है। यह सच है कि एक स्पष्ट वस्तु और कारण 10 (1975) 4 एस. सी. सी. 745 ऑन ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस.

वी. एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]घ अधिनियमित प्रावधान के महत्व को समझने में उपयोगी होगा जैसे कि जब न्यायालय को उसकी व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। इस न्यायालय में

तमिलनाडु और अन्य। बनाम के. श्याम सुंदर और अन्य "। , बिछाया गया

की प्रक्रिया में वस्तुओं और कारणों की उपयोगिता पर

पुनरीक्षण और इस प्रकार अवलोकन किया गयाः

" 66. विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों का विवरण अधिनियम के निर्माण के लिए सहायता के रूप में स्वीकार्य नहीं है

पारित, लेकिन इसका उपयोग सीमित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है

ऐसी परिस्थितियाँ जो उस समय प्रचलित थीं जिनकी आवश्यकता थी

सुधारने की कोशिश की। उद्देश्यों और कारणों का कथन हो सकता है यह पता लगाने के लिए प्रासंगिक हो कि किसी भी क़ानून का उद्देश्य क्या है

विधायिका द्वारा पारित। यह उन कारणों के लिए प्रदान कर सकता है जो

विधानमंडल को कानून बनाने के लिए प्रेरित किया। इस उद्देश्य के लिए

अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को समझने का. न्यायालय

उद्देश्यों के कथन और उसके कारणों को देख सकते हैं।

(जोर दिया गया) (कावलाप्परा कोट्टाराथिल के माध्यम से)

कोचुनी बनाम। मद्रास और केरल राज्य [ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1080]

67. ए. मंजुला भाषिनी (2009) 8 एस. सी. सी. 431 में इस न्यायालय ने निर्णय दिया निम्नानुसारः (एस. सी. सी पी. 459, पैरा 40)

" 40. प्रस्ताव जिसे इस से निकाला जा सकता है उपरोक्त निर्णय यह है कि यद्यपि कथन

विधेयक में निहित उद्देश्य और कारण जिससे अधिनियम बनाया जा सके

विशेष अधिनियम का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता है

उसमें निहित प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए, वही हो सकता है

पृष्ठभूमि को समझने के लिए संदर्भित, पूर्ववर्ती

मामलों की स्थिति और शरारत को सुधारने की मांग की गई कानून। उद्देश्यों और कारणों का कथन भी हो सकता है

सच्चे इरादे की सराहना करने के लिए एक बाहरी सहायता के रूप में देखा जाता है

विधायिका और/या द्वारा प्राप्त करने के लिए चाहा गया उद्देश्य

विशेष अधिनियम का अधिनियमन या तर्कसंगतता का न्याय करने के लिए

ऐसे अधिनियम द्वारा किए गए वर्गीकरण का।

(जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

68. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, किसी भी अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण उस मूल कारण को बताता है जिसके लिए अधिनियम लाया गया है और इस पर विधायिका के सच्चे इरादे की सराहना करने या उद्देश्य का पता लगाने के लिए विचार किया जा सकता है।

विशेष अधिनियम के अधिनियमन द्वारा या ऐसे अधिनियम द्वारा किए गए वर्गीकरणों की तर्कसंगतता का न्याय करने के लिए भी प्राप्त किया जा सकता है।

25. जबकि, जब विधायी क्षमता और अधिनियम के महत्व के बारे में कोई अस्पष्टता नहीं है, तो इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए कोई नियम, प्राधिकरण या परंपरा नहीं है कि उद्देश्यों और कारणों का प्रकाशन विधिवत अधिनियमित प्रावधान को बनाए रखने के लिए सर्वोत्कृष्ट है। वास्तव में, उद्देश्य और कारण व्याख्या के लिए बाहरी सहायकों की सूची में शामिल हैं और व्याख्या की प्रक्रिया में सीमित उद्देश्य के लिए देखा जा सकता है। पश्चिम राज्य का ध्यान रखा जा सकता है

बंगाल बनाम भारत संघ ", जिसमें न्यायालय ने कानूनी स्थिति की व्याख्या इस प्रकार की:

" 13. ..... हालाँकि यह सर्वसम्मत है कि संसद में पेश किए जाने पर किसी विधेयक के साथ उद्देश्यों और कारणों के विवरण का उपयोग क़ानून के मूल प्रावधानों के सही अर्थ और प्रभाव को निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। उनका उपयोग कानून की पृष्ठभूमि और पूर्ववर्ती स्थिति को समझने के सीमित उद्देश्य के अलावा नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम इस कथन का उपयोग निर्माण के लिए सहायता के रूप में नहीं कर सकते हैं

अधिनियम बनाना या यह दिखाना कि विधायिका का इरादा राज्य में निहित स्वामित्व अधिकारों को प्राप्त करने का या किसी भी तरह से खनिजों के मालिकों के रूप में राज्य सरकारों के अधिकारों को प्रभावित करने का नहीं था। संसद द्वारा पारित एक कानून, सामूहिक की अभिव्यक्ति है

समग्र रूप से विधायिका का इरादा, और किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे वह मंत्री हो, अधिनियम के इरादे और उद्देश्यों के बारे में दिए गए किसी भी बयान का उपयोग उपयोग किए गए शब्दों की व्यापकता को कम करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

कानून में "।

न्यायालय संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और मामले में स्थिति को फिर से स्पष्ट करने में अधिक स्पष्ट था।

Anr.[1]3 13, जहाँ यह नोट किया गया है:

" 25. ..... कोई भी संसद के लिए नहीं बोल सकता है और संसद कभी भी अदालत के सामने नहीं होती है। संसद के कहने के बाद कि उसका क्या इरादा है

12 ए. आई. आर 1963 एस. सी. 1241

13 (1983) 1 एस. सी. सी. 147 यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. वी. एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

कहने के लिए, केवल अदालत ही बता सकती है कि संसद का क्या कहना था। और कोई नहीं। एक बार जब कोई कानून संसद भवन से निकल जाता है, तो न्यायालय एकमात्र प्रामाणिक आवाज होती है जो प्रतिध्वनि (व्याख्या) कर सकती है

संसद। यह अदालत भाषा के संदर्भ में करेगी। कानून और अन्य अनुमेय सहायता.. "

अतः व्यक्त उद्देश्य और कारण किसी प्रावधान की वैधता की जांच करने में न्यायालय की सहायता करने के सीमित उद्देश्य को पूरा करते हैं।

विशेष रूप से जब न्यायालय एक अस्पष्ट प्रावधान की व्याख्या पर बैठा हो। 26. निर्विवाद रूप से, जब न्यायालय किसी प्रावधान की वैधता की जांच करता है, तो इसकी प्राथमिक चिंता प्रावधान का शाब्दिक पाठ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि

विधायिका पाठ के माध्यम से बोलती है और जब तक वह अस्पष्ट तरीके से नहीं बोल रही है, तब तक न्यायालय के लिए पाठ से परे जाने के लिए सीमित स्थान है। यह व्याख्या का पहला परीक्षण है, जिसे अक्सर शाब्दिक व्याख्या कहा जाता है। यदि प्रावधान का पाठ असंदिग्ध है, तो विधायी आशय एकजुट हो जाता है और उसका प्रतीक बन जाता है।

27. दूसरे शब्दों में, जब प्रावधान का पाठ्य तत्व अस्पष्टता का अनुभव करता है और कई अर्थों के लिए अतिसंवेदनशील होता है, तो न्यायालय प्रावधान के वास्तविक अर्थ का पता लगाने के लिए एक सक्रिय परीक्षा में प्रवेश करता है। न्यायालय द्वारा यह सक्रिय परीक्षा व्याख्या के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई रास्ते और तरीके प्रदान करती है। व्यक्त उद्देश्यों और कारणों की ओर ध्यान देना अधिनियम के समय आसपास की परिस्थितियों को समझने के लिए सीमित उद्देश्य के लिए उपयोगी हो सकता है।

न्यायालय ऐसे बाहरी तत्वों से बाध्य नहीं है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। इसलिए, उद्देश्यों और कारणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का किसी प्रावधान की संवैधानिक वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब तक कि प्रावधान की शाब्दिक विशेषताएं न्यायालय को इसके सही अर्थ को समझने में सक्षम बनाती हैं।

पर्याप्त स्पष्टता।

28. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने वर्तमान मामले में संवैधानिकता की मौलिक धारणा को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया।

अधिनियमित में किसी भी संवैधानिक दुर्बलता की खोज करने का आवश्यक प्रयास प्रावधान। दूसरा, यह प्रावधान के पाठ को विच्छेदित करने का कोई प्रयास नहीं करता है ताकि पाठ से परे जाने की आवश्यकता को प्रदर्शित किया जा सके। तीसरा, यह अधिनियम और उद्यमों की पृष्ठभूमि में एक ऐसे क्षेत्र में जाता है जो [2020] 7 एस. सी. आर. से बाहर है।

न्यायालय के लिए सीमाएँ तब तक हैं जब तक कि किसी भी अस्पष्टता से उत्पन्न व्याख्या की आवश्यकता उत्पन्न होती है।

29. वैधता परीक्षण की प्रक्रिया विवादित प्रावधान को लागू करने में विधायिका के विवेक या औचित्य में घुसपैठ करने के लिए नहीं है। न ही, क्या यह विधायिका पर एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में विधायिका के दोषपूर्ण आचरण की जांच करने के लिए है। न्यायालय की एकमात्र परीक्षा है

प्रावधान में संवैधानिक दुर्बलता के निष्कर्ष तक सीमित, जैसा कि न्यायालय के समक्ष रखा गया है। इस प्रकार, उद्देश्यों और कारणों का खुलासा न करना किसी प्रावधान की संवैधानिकता पर तब तक प्रभाव नहीं डालेगा जब तक कि प्रावधान अस्पष्ट न हो और संभावित व्याख्या संविधान के भाग III का उल्लंघन न करे। किसी प्रावधान में किसी भी संवैधानिक दुर्बलता के निष्कर्ष के अभाव में, न्यायालय को किसी प्रावधान को अमान्य करने का अधिकार नहीं है।

30. उद्देश्यों और कारणों को बताने में विधायिका की विफलता के कारण किसी प्रावधान को संविधान का उल्लंघन करने वाला ठहराना, इसके पीछे विधायिका के उद्देश्यों की अप्रत्यक्ष जांच के बराबर होगा। अधिनियमन। हमारे विचार में इस तरह की कार्रवाई अनुचित है। इस स्व-अधिरोपित प्रतिबंध के पीछे मूल कारण यह है कि राज्य के विभिन्न अंग अपने कर्तव्यों के पालन में एक-दूसरे के विवेक की जांच नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में, नियंत्रण और संतुलन का समय-परीक्षित सिद्धांत न्यायालय को विधायिका के उद्देश्यों या विवेक पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं देता है, सिवाय इसके कि

परिस्थितियां जब वही अधिनियमित कानून से प्रदर्शित किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम बटलर आदि से निम्नलिखित निर्देशात्मक अंश। 1 4 उपरोक्त प्रस्ताव पर मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें न्यायमूर्ति स्टोन ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की अदालतों की शक्ति निर्णय के दो मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन है जो कभी भी असंवैधानिक नहीं होनी चाहिए। न्यायिक चेतना से अनुपस्थित। एक यह है कि अदालतों का संबंध केवल कानूनों को लागू करने की शक्ति से है, न कि उनके विवेक से। दूसरा यह है कि जबकि कार्यपालिका द्वारा शक्ति का असंवैधानिक प्रयोग न्यायिक प्रतिबंध के अधीन है, कार्यपालिका द्वारा हमारी अपनी शक्ति के प्रयोग पर एकमात्र रोक न्यायिक प्रतिबंध के अधीन है। कानून की किताबों से मूर्खतापूर्ण कानूनों को हटाने के लिए अपील अदालतों के लिए नहीं बल्कि मतपत्र और चुनाव आयोग के लिए है।

लोकतांत्रिक सरकार की प्रक्रियाएँ "।

14 297 यूएस 1 (1936)

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र में, उपरोक्त सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा 1954 में अपने शुरुआती वर्षों में के. सी. गजपति मामले में माना गया है।

नारायण देव और अन्य। बनाम। उड़ीसा राज्य ", जिसमें न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" ..... यदि विधानमंडल किसी विशेष कानून को पारित करने के लिए सक्षम है, तो जिन उद्देश्यों ने उसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया, वे वास्तव में अप्रासंगिक हैं। दूसरी ओर, यदि विधायिका में क्षमता की कमी है, तो उद्देश्य का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस प्रकार कोई कानून संवैधानिक है या नहीं, यह हमेशा शक्ति का सवाल होता है। यदि किसी राज्य का संविधान

विधायी शक्तियों को विभिन्न निकायों के बीच वितरित करता है, जिन्हें विशिष्ट विधायी प्रविष्टियों द्वारा चिह्नित अपने-अपने क्षेत्रों के भीतर कार्य करना होता है, या यदि मौलिक अधिकारों के रूप में विधायी प्राधिकरण पर सीमाएं हैं, तो सवाल उठते हैं कि क्या किसी विशेष मामले में विधायिका के पास क़ानून के विषय-वस्तु के संबंध में या विधि में है या नहीं।

इसे अधिनियमित करके, इसकी संवैधानिक शक्तियों की सीमाओं का उल्लंघन किया।

हमने नोट किया है कि उच्च न्यायालय ने खंड (च) को "मनमाना" और "असहनीय" के रूप में चिह्नित किया है।

असंवैधानिकता। यह ध्यान रखना उचित है कि उच्च न्यायालय खंड (च) की वास्तविक जांच किए बिना इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसके बजाय, घोषणा से पहले अधिनियमन तक की परिस्थितियों की जांच की जाती है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, न्यायिक समीक्षा की संवैधानिक शक्ति प्रावधान की समीक्षा पर विचार करती है, न कि उन परिस्थितियों की समीक्षा जिसमें अधिनियम बनाया गया था। यह ध्यान दिया जाए कि केवल एक अधिनियमित प्रावधान के रूप में धारण करना

इसे असंवैधानिक ठहराने के लिए असहनीय या मनमाना पर्याप्त नहीं है। जब तक कि ऐसी दुर्बलताओं को विवादित प्रावधान के रूप, सार या कार्यप्रणाली में पर्याप्त रूप से मौजूद नहीं दिखाया जाता है। विवादित निर्णय में ऐसी कोई दुर्बलता नहीं दिखाई गई है और न ही इसका संकेत दिया गया है।

खंड (च) की असंगति और धारा के साथ संबंध का अभाव

43 बी.

31. उच्च न्यायालय ने अयोग्यता के अपने निष्कर्ष का समर्थन किया है

धारा 43 ख के पूर्व में विद्यमान (अपरिवर्तित) खंडों की तुलना में दो टिप्पणियों को अभिलिखित करते हुए- पहला, वह खंड (च) अन्य खंडों के साथ असंगत है और खंड (च) में लक्षित कटौती की प्रकृति अन्य कटौती से अलग है। दूसरा, उस खंड (च) का वस्तुओं के साथ कोई संबंध नहीं है। 15 (1954) एससीआर 1 [2020] 7 एस. सी. आर.

और मूल धारा 43 ख के अधिनियमन के पीछे के कारणों और इसलिए, धारा 43 ख के उद्देश्यों और कारणों का उपयोग खंड (च) के उद्देश्य और उद्देश्य का पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

32. शुरुआत में, हम देखते हैं कि दोनों आधार निराधार हैं। धारा 43 बी की मूल योजना में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सीमा नहीं है।

धारा 43 ख के दायरे में केवल विशेष प्रकार की कटौती को शामिल करने की विधायिका की शक्ति पर। यह कहना कि धारा 43 बी वैधानिक प्रकृति की कटौती तक ही सीमित है, विशुद्ध रूप से कल्पनाशील तरीके से प्रावधान को पढ़ने से कम नहीं होगा। जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, 1983 के बाद से, धारा 43 बी ने कर, शुल्क से लेकर बोनस, कमीशन, रेलवे शुल्क, ऋण पर ब्याज और कर्मचारियों के कल्याण के लिए सामान्य प्रावधानों तक कटौती की विविध प्रकृति को अपने दायरे में लिया था। धारा 43 बी की इस यात्रा की एक बाहरी जांच से पता चलता है कि विधायिका ने इसे कभी भी कटौती की एक विशेष श्रेणी तक सीमित नहीं रखा और उस इरादे को न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा में बैठते हुए मुख्य धारा में नहीं पढ़ा जा सकता है। सहमति से, यह उस पिछले वर्ष में निर्दिष्ट शीर्षों के संबंध में अधिनियम के तहत अन्यथा स्वीकार्य कटौती पर सशर्तता संलग्न करने का प्रावधान है, जिसमें लेखांकन की विधि के बावजूद वास्तव में राशि का भुगतान किया जाता है।

33. इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसमें निर्दिष्ट कटौती से संबंधित धारा 43 बी को लागू करने का व्यापक उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना था।

कर्मचारियों के कल्याण सहित मुख्य रूप से राजस्व का व्यापक लोक हित। खंड (च) उस योजना में फिट बैठता है और व्यापक उद्देश्य के साथ पर्याप्त संबंध साझा करता है, जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है। 34. अगले आधार पर कदम रखने से पहले, हम यह देखने के लिए इच्छुक हैं कि संवैधानिक न्यायालयों का दृष्टिकोण अलग होना चाहिए।

राजकोषीय कानूनों से निपटना। यह सामान्य बात है कि विधायिका राजकोषीय क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर विचार करने और इसके लिए नीतियां बनाने का सबसे अच्छा मंच है। उसी को संबोधित करें जिसमें एक नया दायित्व बनाना, मौजूदा दायित्व को छूट देना शामिल है।

देयता, कटौती करें या मौजूदा कटौती को नए नियामक उपायों के अधीन करें। कानूनों पर कर लगाने की प्रकृति में, विधायिका के पास विशिष्ट रिसाव को रोकने के लिए कानून बनाने की शक्ति है। इस तरह के कानून हमेशा सटीक प्रकृति के होते हैं और जमीनी स्तर पर कर चोरी और कर से बचने के अनुभवों के आधार पर केवल करयोग्यता के एक विशिष्ट मार्ग को लक्षित करने के लिए होते हैं। बहिष्करण और समावेशन के सामान्य सिद्धांत समान शक्ति के साथ कर लगाने वाले कानूनों पर तब तक लागू नहीं होते हैं जब तक कि कानून संवैधानिक दुर्बलताओं का संकेत नहीं देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजकोषीय कानूनों को अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हालांकि, एक बड़ा विवेकाधिकार भारत और ओआरएस का संघ है।

अन्य क्षेत्रों की तुलना में विधियों पर कर लगाने में विधायिका को दिया जाता है। अनंत मिल्स कं. लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य और Ors.[1], इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 25. ..... लेकिन, सिद्धांतों के अनुप्रयोग में, अदालतें, विभिन्न तत्वों के राजकोषीय समायोजन की अंतर्निहित जटिलता को देखते हुए, विधानमंडल को इस मामले में एक बड़े विवेक की अनुमति देती हैं - वर्गीकरण
तब तक किया जाता है जब तक कि यह उक्त सिद्धांत के अंतर्निहित मौलिक सिद्धांतों का पालन करता है। विधानमंडल की वर्गीकरण करने की शक्ति व्यापक और लचीली है ताकि वह अपनी कराधान प्रणाली को सभी उचित और उचित तरीकों से समायोजित कर सके।

इस प्रकार देखे जाने पर, विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय की खंड पीठ के साथ वजन किया गया कारण असमर्थनीय है।

भारत अर्थ मूवर्स मामले में उक्ति को हराना

35. अब हम खंड (च) की इस आधार पर जांच करेंगे कि यह भारत अर्थ मूवर्स (उपर्युक्त) में इस न्यायालय के फैसले को विफल कर देता है। हमारे पास है।

भारत अर्थ मूवर्स (ऊपर) में निर्णय का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया और ध्यान दें कि न्यायालय छुट्टी नकदीकरण योजना के तहत दायित्व की प्रकृति पर अपील कर रहा था और इस तरह के दायित्व को एक उपहार माना था।

दायित्व। परिणामस्वरूप, यह उसी लेखा वर्ष में निर्धारिती के लाभ और हानि खाते से कटौती योग्य हो गया जिसमें इसके खिलाफ प्रावधान किया गया है। न्यायालय ने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि छुट्टी नकदीकरण देयता एक आकस्मिक देयता है और इस प्रकार टिप्पणी कीः

अधिकारियों और कर्मचारियों सहित कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अर्जित पात्रता के अनुपात में नकदीकरण योजना, संबंधित तिथि पर लागू संचय की अधिकतम सीमा के अधीन, कंपनी की सकल प्राप्तियों में से कटौती का हकदार है।
लेखांकन वर्ष जिसके दौरान दायित्व के लिए प्रावधान किया जाता है।

दायित्व आकस्मिक दायित्व नहीं है। उच्च न्यायालय ने नहीं किया

इसके विपरीत दृष्टिकोण रखने का अधिकार "।

36. भारत अर्थ मूवर्स (ऊपर) में फैसले से पहले, देश भर के विभिन्न न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय इन दायित्वों पर विचार कर रहे थे -

आकस्मिक दायित्व के रूप में छुट्टी नकदीकरण। यह व्यापारिक लेखा प्रणाली का पालन करने वाले निर्धारिती के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि

[1] (1975) 2 एससीसी 175 [2020] 7 एस. सी. आर.

वे वास्तविक भुगतान किए बिना इस तरह के दायित्व के खिलाफ केवल एक प्रावधान बनाने पर कटौती का लाभ उठाने में सक्षम नहीं थे। भारत अर्थ मूवर्स (ऊपर) में इस न्यायालय के समक्ष इस कानूनी स्थिति को चुनौती दी गई, जिसमें न्यायालय ने स्थिति को उलट दिया।

37. इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधायिका किसी निर्णय पर नहीं बैठ सकती है।

इस न्यायालय या तो बोलने के लिए इसे रद्द कर दें। निर्णय के कानूनी आधार को बदले बिना न्यायालय के निर्णय को अमान्य करने की कोई घोषणा नहीं की जा सकती है-क्योंकि निर्णय संबंधित समय पर लागू होने वाले अधिनियम को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। हालांकि, एक बार जब अधिनियम खुद ही सही हो जाता है, तो निर्णय का मूल कारण बदल जाता है और आवश्यक प्रभाव उसी का अनुसरण करता है। एक विधायी निकाय को स्वर्गीय ज्ञान के अधिकार में नहीं माना जाता है ताकि उनके अधिनियमन की सभी संभावित आवश्यकताओं पर विचार किया जा सके। जब भी विधायिका किसी समस्या को हल करने का निर्णय लेती है, तो उसके पास कई समाधान होते हैं। इस स्तर पर, संसद सबसे वांछनीय समाधान को चुनने के लिए अपने विधायी विवेक का प्रयोग करती है और उस प्रभाव के लिए एक कानून बनाती है। यह एक 'परीक्षण और त्रुटि' अभ्यास की प्रकृति में है और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि एक कानून बनाने वाली संस्था, विशेष रूप से वित्तीय प्रकृति के कानूनों में, इस तरह की कवायद करने के लिए विधिवत सशक्त है जब तक कि विधायी क्षमता की चिंता संदेह में नहीं आती है। कानून के लागू होने पर, यह सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय हो जाता है और जब भी यह दुर्बलताओं से ग्रस्त पाया जाता है तो भाग III के तहत किसी भी समीक्षा के लिए खुद को खोल देता है। न्यायालय द्वारा अमान्य किए जाने पर, विधायिका ऐसे कानून का निदान करने और उसके अमान्य तत्वों को बदलने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा करने में, विधायिका न्यायालय की राय को अमान्य घोषित नहीं कर रही है।

38. वेलफेयर एसोसिएशन में। ए. आर. पी. महाराष्ट्र और ए. एन. आर. बनाम रंजीत पी. गोहिल और Ors.[17], इस न्यायालय ने भारतीय एल्यूमीनियम पर भरोसा किया को. और ओआरएस। बनाम केरल राज्य और Ors.[18] और विस्तृत विश्लेषण पर, शक्तियों के पृथक्करण के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए कुछ सिद्धांतों को निर्धारित किया और इस प्रकार देखाः

" 47. ..... (v) विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए, विधायिका केवल घोषणा करके, बिना किसी और चीज़ के, किसी न्यायिक निर्णय को सीधे रद्द, संशोधित या ओवरराइड नहीं कर सकती है। यह न्यायिक निर्णय दे सकता है।

अपने विधायी क्षेत्र के भीतर विषय पर वैध कानून बनाकर इसके चरित्र को मौलिक रूप से बदल या बदलकर अप्रभावी

पीछे की ओर। परिवर्तित या परिवर्तित स्थितियाँ ऐसी हैं कि

17 (2003) 9 एस. सी. सी. 358

18 (1996) 7 एस. सी. सी. 637 ऑन इंडिया एंड ओ. आर. एस.

वी. एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

या किसी निर्देश को बाध्यकारी न होने के रूप में बनाएँ, लेकिन उस आधार को हटाकर निर्णय को अप्रभावी बनाने की शक्ति रखता है, जिसके आधार पर निर्णय दिया गया था, जो संविधान और संविधान के कानून के अनुरूप है। विधायिका के पास ऐसा करने की क्षमता होनी चाहिए।

न्यायालय ने तब टी. एन. बनाम राज्य पर भरोसा किया। अरूरन शक्कर

इस बात की पुष्टि करने के लिए और इस प्रकार नोट किया:

" 48. तमिलनाडु राज्य में v. अरूरन शुगर लिमिटेड, संविधान

पीठ ने सभी उपलब्ध निर्णयों की विस्तृत समीक्षा की इस मुद्दे पर और पकड़कर कानून का सारांश दिया: -

" यह विधायिका के लिए खुला है कि वह अदालत द्वारा बताए गए दोष को दूर करे या अधिनियम की परिभाषा या किसी अन्य प्रावधान को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित करे। इस प्रक्रिया में यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायपालिका की शक्ति पर विधायिका द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अदालत का निर्देश हमेशा होना चाहिए।

जब तक कि जिन शर्तों पर यह आधारित है, वे इस प्रकार नहीं हैं

मौलिक रूप से परिवर्तित किया गया कि परिवर्तित परिस्थितियों में ऐसे निर्णय नहीं दिए जा सकते थे। इसमें विचाराधीन निर्णय में बताए गए क़ानून में दोष को हटाना शामिल होगा,

साथ ही प्रावधानों में परिवर्तन या प्रतिस्थापन ऐसा अधिनियम जिसके आधार पर ऐसा निर्णय पूर्वव्यापी हो

प्रभाव "। " " "

भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी (ऊपर) में, न्यायालय ने एक समूह पर भरोसा किया

आर. आई. टी. एस. और कानून की उपरोक्त स्थिति के लिए अपनी मंजूरी बढ़ाई

" 41. ..... इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया था कि

विधायी अधिनियम और न्यायिक अधिनियम के बीच का अंतर सर्वविदित है। पक्षकारों के अधिकारों का निर्णय एक न्यायिक कार्य है। विधायिका को उन मानदंडों या आचरण को निर्धारित करने वाले कानून को निर्धारित करना होता है जो पक्षों और लेनदेन को नियंत्रित करेंगे ताकि अदालत को उस कानून को प्रभावी बनाने की आवश्यकता हो। कानून को मान्य करना जो

कार्रवाई की अयोग्यता या उपचार प्रदान करने के मानदंडों को हटा देता है

न्यायिक शक्ति पर अतिक्रमण नहीं। के तहत बनाया गया सांविधिक नियम

अनुच्छेद 309 के प्रावधान को बरकरार रखा गया। विधायिका ऐसा नहीं कर सकती।

बिना किसी और चीज़ के एक खुली घोषणा द्वारा, सीधे किसी भी समय न्यायिक निर्णय को रद्द, उलट या ओवरराइड करें।

प्रदत्त पूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 द्वारा विधानमंडल। यह.

एक वैध अधिनियम बनाकर एक न्यायिक निर्णय को अप्रभावी बना सकता है

अपने विधायी क्षेत्र के भीतर किसी विषय पर कानून, मूल रूप से

पूर्वव्यापी, उपचारात्मक या उपचारात्मक के साथ बदलना या बदलना

शून्यकारी प्रभाव, वे शर्तें जिन पर ऐसा निर्णय लिया जाता है

आधारित है। हरि सिंह और ओआरएस में। वी. सैन्य संपदा अधिकारी,

सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत उपलब्ध थे। जब निष्कासन संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा एक अनधिकृत रहने वाले की मांग की गई थी

इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई और बरकरार रखा गया। अधिनियम

बाद में 1958 में पूर्वव्यापी संचालन के साथ संशोधन किया गया था।

निष्कासन उपलब्ध था। यह एक विधायी होने का दावा किया गया था न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया

कि विधायिका के पास विषय वस्तु पर क्षमता थी

और वैलिडेशन एक्ट उस दोष को दूर कर सकता है जिसे अदालत ने

पिछले मामले में पाया गया था। यह विधायी नहीं था न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण लेकिन दोष को दूर करने का एक

जिसे अदालत ने एक डीमिंग तारीख के साथ इंगित किया था।

(जोर दिया गया)

39. रिपोर्ट किए गए निर्णय के वास्तविक प्रभाव पर लौटना

इस पर विचार करते हुए, यह निर्धारिती की नकदी या लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली का पालन करने के लिए स्वायत्तता के सामान्य वितरण के आलोक में प्रस्तुत किया गया था

एक स्पष्ट वैधानिक प्रावधान के अभाव में प्रासंगिक समय पर प्रचलित इसे अलग तरीके से करें। यह पहले की व्यवस्था के संदर्भ में छुट्टी नकदीकरण के दायित्व की प्रकृति पर एक प्राधिकरण है। इस तरह के किसी भी प्रावधान के अभाव में, 1961 के अधिनियम की धारा 145 (1) एकमात्र परिचालन प्रावधान था जो निर्धारिती को निम्नलिखित का पालन करने के लिए पूर्ण स्वायत्तता की अनुमति देता थाः

व्यापारिक प्रणाली। अब धारा 43 बी में खंड (च) को शामिल करके एक सीमित परिवर्तन लाया गया है और इससे अधिक कुछ नहीं। यह लागू होता है।

संभावित रूप से। केवल इसलिए कि किसी देयता को वर्तमान देयता माना गया है जो प्रासंगिक समय पर लागू प्रावधानों के संदर्भ में तत्काल कटौती के लिए योग्य है, वास्तव में भारत संघ और ओ. आर. एस. के खिलाफ कटौती का संकेत नहीं देता है।

ऐसे दायित्व को संसद द्वारा संभावित रूप से बनाए गए कानून द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है। वैधानिक कटौती के मामले में, विधायिका इसे संभावित रूप से वापस ले सकती है। दूसरे शब्दों में, एक बार जब वित्त अधिनियम, 2001 को संसद द्वारा संभावित प्रभाव से धारा 43 बी में खंड (च) जोड़कर विधिवत पारित कर दिया गया, तो छुट्टी भुनाने के दायित्व के खिलाफ कटौती को इस तरह से निर्धारित तरीके से विनियमित किया गया। यह ध्यान दिया जाए कि संशोधन दायित्व की प्रकृति को उलट नहीं देता है और न ही

क्या इसने कटौती को इस तरह से हटा लिया है। अवकाश नकदीकरण का दायित्व व्यापारिक प्रणाली के अनुसार एक वर्तमान दायित्व बना हुआ है।

लेखांकन। इसके अलावा, खंड (च) को शामिल करने से निर्धारिती की व्यापारिक प्रणाली का पालन करने की स्वायत्तता समाप्त नहीं हुई है। यह केवल अपनी कर योग्य आय की गणना करने के उद्देश्य से निर्धारिती द्वारा प्राप्त की जाने वाली कटौती के लाभ को स्थगित करता है और इसे संबंधित कर्मचारी को उसके वास्तविक भुगतान की तारीख से जोड़ता है। इस प्रकार, एकमात्र प्रभाव खंड (च) का समावेशन कथित कटौती को एक विशेष प्रावधान में रखकर विनियमित करना है।

40. विशेष रूप से, यह नियामक उपाय धारा 43 बी में निर्दिष्ट अन्य कटौती के साथ समन्वयित है, जो भी मौजूद हैं और उपार्जित हैं।

देनदारियाँ। वाणिज्य प्रणाली के अनुसार वर्तमान में कर, शुल्क, उपकर, बोनस, कमीशन आदि के बदले में भी देयता उत्पन्न होती है, लेकिन निर्धारिती लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली की आड़ में कटौती का दावा करने के बावजूद इसके भुगतान को टाल देते थे। परिणामस्वरूप, देयता की श्रेणी के बावजूद, इस तरह की कटौती को राजकोषीय मामलों की विशिष्ट आवश्यकताओं और सार्वजनिक राजस्व की अंतर्निहित चिंताओं को ध्यान में रखते हुए धारा 43 बी के तत्वावधान में कानून द्वारा विनियमित किया गया था। एक प्राथमिकता, केवल इसलिए कि एक निश्चित दायित्व को न्यायालय द्वारा प्रचलित अधिनियम के अनुसार एक वर्तमान दायित्व घोषित किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि विधायिका को संभावित प्रभाव के साथ शरारत को ठीक करने की अपनी शक्ति से वंचित किया जाता है, जिसमें एक नया दायित्व बनाना, मौजूदा दायित्व से छूट देना, कटौती करना या नए नियामक उपायों के लिए मौजूदा कटौती करना शामिल है। कड़ाई से कहें तो न्यायालय एक विधिवत अधिनियमित प्रावधान की संवैधानिकता का निर्णय करते हुए काल्पनिक क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकता है और न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया में निराधार सीमाओं को नहीं पढ़ा जा सकता है। एक प्राथमिकता, याचिका कि खंड (च) किया गया है

इस न्यायालय के निर्णय को विफल करने के एकमात्र उद्देश्य से अधिनियमित करना गलत धारणा है।

41. ऊपर चर्चा की गई विधि की स्थिति खंड (च) को अधिनियमित करने की वैधता के संबंध में कोई संदेह नहीं छोड़ती है।

न तो क्षमता के अस्तित्व के अभाव का मामला बनाया है और न ही खंड (च) में कोई संवैधानिक दुर्बलता प्रदर्शित की है। 42. ऊपर स्पष्ट कानूनी स्थिति को देखते हुए, इस अपील को अनुमति दी जानी चाहिए। तदनुसार, का विवादित निर्णय

उच्च न्यायालय की खंड पीठ को उलट दिया जाता है और 1961 के अधिनियम की धारा 43 बी में खंड (एफ) को संवैधानिक रूप से वैध और सभी उद्देश्यों के लिए प्रभावी माना जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अपील की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी